असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

18 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा वृहस्पतिवार, तिथि 18 मार्च, 2021 ई0

द्वितीय सत्र 27 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, तीन कृषि कानून के वापसी के सवाल पर गर्दनीबाग में 50 हजार किसान महापंचायत कर रहे हैं, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, बैठ जाइये, उचित समय पर रखियेगा । माननीय सदस्य, श्री प्रेम शंकर प्रसाद ।

(इस अवसर पर भाकपा (माले) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

महबूब जी बैठ जाइये, आपका कार्यस्थगन है । आप अभी बैठ जाइये, आप उचित समय पर उठाइयेगा । अभी माननीय सदस्यगण बैठ जाइये, अभी बैठ जायं, प्रश्नोत्तर काल को चलने दीजिये । अब हो गया माननीय सदस्यगण बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । अरूण बाबू, बैठ जाइये । महबूब जी अब हो गया ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद । मंत्री, कृषि विभाग ।

ठीक है, अब उचित समय पर उठाइयेगा । अब बैठ जाइये । अब प्रश्नोत्तर काल है। अब यहां से आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । अपने स्थान पर जाइयेगा तो मौका मिलेगा, अभी मंत्री जी का जवाब होगा । आप अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे तभी आपकी बात सरकार भी सुनेगी और सदन भी सुनेगा । यहां से कोई नहीं सुनेगा । माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर पहले चले जाइये, आप मेरा संज्ञान तो लीजिये।

(इस अवसर पर भाकपा (माले) के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

माननीय मंत्री जी ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-'क' 59 (श्री प्रेम शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-99, बैकुण्ठपुर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-371, दिनांक- 15.03.2021...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव बाबू बैठ जाइये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2015 में योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 38 जिला मुख्यालय एवं 12 अनुमंडल कुल 50 स्वचालित मौसम केन्द्र ए0डब्लू0एस0 अधिष्ठापित कराया गया है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

राज्य में मौसम आधारित रबी फसल बीमा 2007-08 मौसम से खरीफ मौसम 2014 तक क्रियान्वित थी । इस योजना के तहत असामयिक वर्षापात तापमान में परिवर्तन एवं पाला आदि कारणों से फसल के नुकसान की स्थिति में वैदर स्टेशन के पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर आंकलन पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्त्ति भुगतान किया जाता था क्योंकि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में स्वचालित अधिष्ठापित केन्द्र स्थापित नहीं था । उक्त आलोक में कार्यभारी बीमा कम्पनी को प्रत्येक प्रखंड में स्वचालित मौसम केन्द्र को अधिष्ठापित और लीज पर रखते हुए उक्त स्वचालित मौसम केन्द्र से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्धारित टर्म शीट के अनुसार क्षतिपूर्त्ति मूल्यांकन कर बीमित किसानों को क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश था ।

3- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पंत्राक- 371, दिनांक 15.03.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्तमान समय में सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में स्वचालित मौसम केन्द्र, ए0डब्लू0एस का अधिष्ठापन कराया गया है । जिसमें 33 जिलों के 400 प्रखंडों में योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित कराया गया तथा शेष पांच जिलों में प्रखंड मुख्यालय में कृषि विभाग का स्वचालित केन्द्र अधिष्ठापित कराया गया है । योजना एवं विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर राज्य के 33 जिलों में 700 पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र का अधिष्ठापन कराया जा रहा है जो अगले नौ माह में पूर्ण कर लिया जायेगा । शेष पांच जिलों यथा गया, अरवल, नालंदा, पूर्वी चंपारण एवं सुपौल के

अंतर्गत पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित कराया गया है।

श्री प्रेम शंकर प्रसादः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, से जानना चाहता हूं कि गोपालगंज, सिवान सहित राज्य के अन्य 15 जिलों में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में किन-किन बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों की फसल को बीमित किया गया था । दोनों वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनियों द्वारा कितनी राशि की फसल क्षति का आकलन किया गया और अब तक बीमा कंपनियों द्वारा बीमित किसानों को क्षतिपूर्त्ति की कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, उस समय जब ये होता था यह 2011-12 की बात है । आज अब फसल बीमा योजना है, राज्य फसल बीमा योजना है, राज्य में फसल सहायता योजना लागू है । महोदय, उस आधार पर क्षतिपूर्त्ति का आकलन सांख्यिकी विभाग करता है और उसी आधार पर क्षतिपूर्त्ति का आकलन के आधार पर उसका भुगतान किया जाता है ।

श्री प्रेम शंकर प्रसादः महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में खरीफ फसल क्षति का आकलन सरकार के आकलन से बीमा कंपनियों द्वारा कम की गयी फिर भी आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा 175 करोड़, एच0डी0एफ0सी0 एग्रो द्वारा 58.60 करोड़ रुपये का कम आकलन किया गया था तथा सेवा शुल्क के रूप में राज्य सरकार से अधिक राशि प्राप्त कर ली गयी थी तो सरकार स्पष्ट बताये, दोषी बीमा कंपनी एवं विभागीय पदाधिकारी पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, जहां तक कार्रवाई की बात है तो यह मामला बहुत पुराना है, अगर फिर से चाहते हैं तो जांच करके हम कार्रवाई करवा सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री सुधाकर सिंहः महोदय, यह 7-8 सालों से लम्बित हैं । सरकार को अब तक कोई सर्टिफिकेट केस करके उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई है । 8 साल लम्बा होता है किसानों का इंतजार, जो फसल नुकसान हुई है ।

श्री प्रेम शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आपका समाप्त हो गया है । जब कोई दूसरे माननीय सदस्य पूरक पूछ लेते हैं तो अब आपका समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइये ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः हमने कह दिया है सुधाकर जी और उत्तर में है, आपने सुना होगा कि उसकी जांच करवाकर कार्रवाई करवाने का हम काम करेंगे ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री सत्यदेव रामः महोदय, कब तक मंत्री जी कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्षः बता दीजिये, मंत्री जी ।

श्री सत्यदेव रामः उसका कोई सेड्यूल टाईम हो कि कब तक कार्रवाई करेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः महोदय, यह माननीय विधायक के चाहने पर कार्रवाई हो जब सरकार की नजर में दोषी अधिकारी है....

अध्यक्षः ठीक है, अब बैठ जाइये । मंत्री जी, बता दिये कि कार्रवाई करेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 60 (मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0- 58, कसबा)

अध्यक्षः उत्तर संलग्न है ।

श्री मो0 आफाक आलमः उत्तर है महोदय, और सवाल है किसान से जुड़े हुए ।

अध्यक्षः उत्तर नहीं मिला है ।

श्री मो0 आफाक आलमः महोदय, उत्तर इसमें नहीं मिला है ।

अध्यक्षः आप ऑनलाइन देखे हैं तो पूरक पूछ लीजिये ।

श्री मो0 आफाक आलमः महोदय, मंत्री जी जवाब देंगे तभी पूरक पूछेंगे ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज से संबंधित....

(व्यवधान)

अध्यक्षः कन्फ्यूजन आप क्रियेट करते हैं ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः 31 जनवरी, 2021 तक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिवेदन के अनुसार अंचल स्तर पर कुल दायर 46,41,168 याचिकाओं में से 36,17,567 याचिकाओं का निष्पादन किया जा चुका है, जो कुल 77.95 निष्पादन है । शेष याचिकाएँ निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हुई है । दिनांक 4 मार्च, 2021 तक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार निष्पादन का प्रतिशत 78.43 है, जो विगत माह से 0.48 प्रतिशत निष्पादन अधिक हुआ है ।

ज्ञातव्य हो कि आपत्ति रहित दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन की समय-सीमा अधिकतम 35 (पैंतीस) कार्यदिवस तथा आपत्ति प्राप्त दाखिल-खारिज याचिकाओं के निष्पादन की समय-सीमा अधिकतम 75 (पचहत्तर) कार्यदिवस अंचलाधिकारी स्तर पर निर्धारित है ।

जिलास्तर पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज के प्रक्रियाधीन तथा लंबित याचिकाओं का त्वरित एवं ससमय निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाती है । संबंधित जिला समाहर्त्ता को विभाग द्वारा एतदर्थ पत्र प्रेषित किये गये हैं ।

श्री मो0 आफाक आलमः अध्यक्ष महोदय, यह किसान से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार के राजस्व का भी मामला है और यह जो माननीय मंत्री जी जवाब दिये हैं और सवाल है कि 40 लाख जो ऑनलाइन लोग किये ।

(क्रमशः)

टर्न-2/हेमन्त-धिरेन्द्र/18.03.2021

...क्रमशः...

श्री मो0 आफाक आलम : म्युटेशन के लिए, 36 लाख का निष्पादन हुआ है । अभी भी 25 लाख का सरकार निष्पादन नहीं कर पा रही है, जो विभाग के अंचल पदाधिकारी हैं...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, इसमें यह है कि इस मामले को लेकर किसान राज्य के सभी प्रखंड में, जो सरकार का नियम है कि 35 से 75 दिनों के अन्दर उनका निष्पादन करना है, लेकिन यहां सालों-साल तक निष्पादन नहीं हुआ है..

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मो0 आफाक आलम : पूरक पूछेंगे सर । मेरा यह कहना है...

अध्यक्ष : भूमिका बनायेंगे, तो समय खत्म हो जायेगा और भी कई अल्पसूचित हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम : उस नियम के अनुसार जो-जो पदाधिकारी नहीं किये हैं, वैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र आफाक जी ने बोला कि 40 लाख, नहीं 46 लाख अप्लाई हुए थे और हम चार महीने से मंत्री हैं, जबसे दाखिल-खारिज में वृद्धि भी हुई है, जो इनको बताया है । इसके अलावा माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है कि अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम उन पर कार्रवाई करें, लेकिन हम इनको

यह विश्वास दिलाते हैं कि हम नियम बना रहे हैं कि अगर किसी पदाधिकारी की लापरवाही से दाखिल-खारिज समय पर नहीं होता है, उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया हम बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे और आपको कहना चाहते हैं कि कहीं कोई मामला हो 10-20, 50-100 तो आप हमको निकालकर दें, अविलंब उस पर कार्रवाई भी करेंगे, उसका निष्पादन भी करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, इस दाखिल-खारिज में सरकार की भी बदनामी है...

अध्यक्ष : मंत्री जी बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम : माननीय अध्यक्ष जी, सुना जाय ।

अध्यक्ष : हां बोलिये ।

श्री मो0 आफाक आलम : ये किसान से जुड़ा हुआ मामला है, आज भी किसान...

अध्यक्ष : वह भी किसान हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभी किसान हैं सर, छोटा हो या बड़ा हो । आज जो किसान है जिस तरह से रोड पर दिल्ली में तीन महीने से चिल्ला रहे हैं, उसमें ये भी मामला है, लेकिन मेरा कहना है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री मो0 आफाक आलम : ये जो भ्रष्टाचार है, ये मोटेशन पर जो भ्रष्टाचार है, इस पर कैसे रोक लगायेंगे।

अध्यक्ष : हां, मंत्री जी कैसे रोक लगायेंगे ?

श्री मो0 आफाक आलम : भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगायेंगे, यह बताइये आप ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । लास्ट हो गया, अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री मो0 आफाक आलम : हल्ला मत कीजिए, बहुत गंभीर मामला है । आप ही लोगों का मामला है ।

अध्यक्ष : बहुत गंभीर मामला है । आफाक जी ।

श्री मो0 आफाक आलम : जी सर ।

अध्यक्ष : आप बैठिये । आसन आपकी गंभीरता को मंत्री जी के द्वारा देख रहा है ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य जी की चिंता वाजिब है, बिना जमीन के कोई काम ही नहीं होता है और सभी लोग एक डिसमिल या सौ डिसमिल के मालिक हैं, जमींदार हैं, किसान हैं । निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जमीन के बिना कोई उपाय नहीं था। आफाक जी की चिंता बहुत वाजिब है, तो मैंने कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि

ज्यूडीशियरी का मामला भी इसमें आता है, वह अंचलाधिकारी, डी0सी0एल0आर0, ए0सी0, डी0एम0, एस0डी0एम0 सभी के पास जाता है, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिसके कारण निष्पादन नहीं हो पाता है, लेकिन कहीं कोई कोज नहीं है, वैसा मामला अगर कोई अटका हुआ है, इनके संज्ञान में है, तो उसको दें, मैं करवा दूंगा और कार्रवाई भी करूंगा ।

अध्यक्ष : चलिए, अब....

(व्यवधान)

उनका सवाल है, अब आपका लास्ट है ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, इससे बहुत सारे मामले जुड़े हुए हैं । माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, अभी जैसे कोई भी किसान जमीन की खरीद-बिक्री करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं और उसमें किसी द्वेष के कारण या जमींदार अपनी गलती से या जैसे भी हो, दोनों को बेचते हैं और दोनों का मोटेशन कैसे हो जाता है ? दोनों का मोटेशन होता है...

अध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य ।

श्री मो0 आफाक आलम : खूना-खूनी भी होता है...

अध्यक्ष : आफाक आलम जी, आप बैठ जाइये ।

श्री मो0 आफाक आलम : तो इसका कैसे निष्पादन करेंगे ?

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री मो0 आफाक आलम : माननीय मंत्री जी, इसका जवाब दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि यह संज्ञान में, देखिये, पर्टिकुलर नाम के साथ, लिस्ट के साथ उनको उपलब्ध कराइये, वह संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे । श्री कुमार सर्वजीत।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-61(श्री कुमार सर्वजीत, क्षेत्र सं0-229, बोध गया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः 1- स्वीकारात्मक ।

2- नहीं । राशन कार्ड में यूनिटों की संख्या परिवार द्वारा दी गई जानकारी एवं साक्ष्य के आधार पर ही दर्ज की जाती है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि नये राशन कार्ड के निर्गमन हेतु प्रपत्र 'क' एवं नाम जोड़ने, हटाने जैसे संशोधन एवं राशन कार्ड प्रत्यर्पण हेतु प्रपत्र 'ख' में आवेदन किया जा सकता है, जिसकी जांच कर नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत/संशोधित आदि किया जाता है । यह एक सतत् प्रक्रिया है ।

अध्यक्षः उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लॉकडाउन के समय में सरकार का निर्देश था कि वैसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, जिनके पास खाने को राशन नहीं है, उनको हम लोग कार्ड बनाकर देंगे । महोदय, जीविका की दीदी के माध्यम से कार्ड बनाया गया और बड़े पैमाने पर वैसे व्यक्ति जिनके घर में दस-दस परिवार हैं और राशन कार्ड उनको मिला, दो ही व्यक्ति का मिला....

अध्यक्ष : आप पूरक शॉर्ट में पूछिये, क्योंकि एक और प्रश्न बचा हुआ है, निकल जायेगा । पुराने सदस्य एकदम संक्षिप्त पूरक पूछें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, वैसे परिवार जिनके घर में 10-10 परिवार हैं और उनको राशन कार्ड दो ही परिवार का मिल सका है, उसके लिए माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहती हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माईक पर बोलिये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, सदस्य के प्रश्न का जो मूल भाव है कि राशन कार्ड में परिवार के अन्य सदस्यों का नाम दर्ज नहीं हो पाया है, तो महोदय, स्पष्ट है कि फार्म-'ख' भर कर आवेदन देंगे और अगर जांच के बाद सही पाया जायेगा, तो उन्हें जोड़ दिया जायेगा । इसके लिए जो छूट गये हैं...

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह फार्म मेरे पास है । इसी फार्म के आधार पर सरकार ने परिवारों का नाम जोड़ा है । सिर्फ एक उदाहरण, हम माननीय मंत्री जी को देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र बोधगया में 250 महादलित परिवार हैं, महोदय । 253 हमने दिया....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । आपके बगल में देखिये, वह जिस निगाह से हमको देख रहे हैं, आशाभरी निगाह से, विजय जी का प्रश्न आने दीजियेगा या नहीं ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, 253 महादलित के परिवार का फार्म हमने दिया था ।

अध्यक्ष : उस दिन भी इनका प्रश्न नहीं आ सका था । आप मंत्री जी को दे दीजियेगा, मिलकर बात कर लीजियेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : सिर्फ एक आग्रह कर रहा हूँ, महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है । बोल दीजिये जल्दी से ।

श्री कुमार सर्वजीत : कि यह जो 253 व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन सका है, महोदय और जब डिप्टी सी0एम0 थे श्री सुशील मोदी जी, उनके द्वारा वहां के जिलाधिकारी को....

अध्यक्ष : आप सीधे बोलिये कि 253 का माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगी, सूची दे दें । ठीक है, चलिये ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-62 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है । वर्ष 2019 में 81 लाख मि0 टन आलू का उत्पादन हुआ है ।

2- बिहार में प्राईवेट सेक्टर में कुल 395 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसकी कुल क्षमता 19.39 लाख मि0 टन है । कार्यशील कोल्ड स्टोरेज की संख्या 204 हैं, जिसकी क्षमता 11.85 लाख मि0 टन है ।

3- आलू का भंडारण आलू के हार्वेस्टिंग के समय बाजार में प्रचलित बिक्री दर पर निर्भर करता है । बाजार में आलू की बिक्री दर अच्छा रहने पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आलू को बेच दिया जाता है । बिक्री दर कम रहने पर कृषक कुछ समय के लिए आलू का भंडारण करते हैं ।

बिहार में आलू प्रसंस्करण इकाई की कमी है । फलत: उत्पादित आलू की अधिकांश मात्रा सब्जी के रूप में बिक्री की जाती है । प्रसंस्करण इकाई को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा Bihar Agriculture Investment Policy, 2020 लागू की गई है, जिसमें प्रसंस्करण इकाई के लिए 25 लाख से 5 करोड़ तक की परियोजना प्रस्ताव पर व्यक्तिगत उद्यमी को 15 प्रतिशत, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 को 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान है । अ0पि0वर्ग/अ0जा0/अ0ज0जा0 आवेदक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं विधवा के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत का प्रावधान है ।

राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जाता है । बल्कि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक/कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के तहत अनुमानित लागत @ Rs. 8000/MT अधिकतम मिट्रिक टन 400 लाख रुपये समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा 35 प्रतिशत अधिकतम 140 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान उपलब्ध करायी जा सकती है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

वह प्रश्न खत्म हो गया है, आगे निकल गये हैं । आप अलग से प्रश्न ले आइयेगा ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह दिया है कि इस बार 81 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है, लेकिन बिहार में स्टोरेज करने की क्षमता मात्र 11 लाख 85 हजार मिट्रिक टन की ही है । जो शेष बचता है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये, शेष के लिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, पूरक हम यही पूछना चाह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज कृषि विभाग के अधीन आता है और कोल्ड स्टोरेज किसानों पर आधारित है, इसमें हरदम कॉमर्शियल बिजली का बिल इन लोगों को देना पड़ता है, जिसके कारणवश पूरे बिहार के अंदर जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, वह बंद होने की कगार पर हैं या बंद हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ? पूरक पूछिये न ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, इन लोगों को बिजली में सब्सिडी मिलेगी या नहीं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न कृषि विभाग से संबंधित नहीं है, जो उन्होंने पूछा है।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, जहां तक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराने की बात है तो कोल्ड स्टोरेज भी कृषि विभाग उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि निवेशक आते हैं और उन निवेशकों को कृषि विभाग या सरकार सहायता प्रदान करती है, उनको बनाने के लिए ऋण देती है, उसमें सब्सिडी भी है, सरकार अनुदान भी देती है । इस तरह से सरकार मदद करती है ।

अध्यक्ष : ठीक है । बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में देखा जाय तो उन्होंने दिया है कि आलू प्रसंस्करण इकाई की कमी है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाना चाहेंगे कि 50 लाख टन आलू कहां जाता है ? इसका पता नहीं । इनके पास मात्र 31 लाख क्षमता का कोल्ड स्टोरेज है, तो 50 लाख टन राज्य का आलू जो बाहर जाता है, इसके लिए कोई यूनिट प्रसंस्करण खोलने का विचार सरकार रखती है या नहीं ? इस 50 लाख टन आलू को कैसे बचाया जाय ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । अब लास्ट है, समय समाप्त हो जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य भी जानते हैं और यह सर्वविदित है....

अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया, समय से हम बंधे हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : ललित जी...

अध्यक्ष : बोलिये, माननीय मंत्री जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : राज्य सरकार की जो कृषि प्रोत्साहन नीति है, निवेश नीति है, उसमें वह नीति कवर करती है और उससे संबंधित जो उत्पाद होंगे, उसका जो प्लांट लगेगा, उसमें सरकार मदद करने के लिए तैयार है और हम तो चाहते हैं कि निवेशक आयें और प्रोसेसिंग प्लांट लगायें । उसमें जो ऋण है जिस प्रकार से और सब्सिडी है जिस प्रकार से, उसका...

टर्न-03/सुरज-संगीता/18.03.2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुए, अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, किसानों का मामला है...

अध्यक्ष : श्री इजहारूल हुसैन ।

आपका प्रश्न फिर है, आप ही का है तैयार रहिये । माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-'अ' 2005 (श्री इजहारूल हुसैन, क्षेत्र सं0-54, किशनगंज)</u>

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा किशनगंज जिले में की गई है । डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय परिसर में डॉ0 कलाम की प्रतिमा स्थापित करने की योजना तत्काल स्वीकृत नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी स्थापना 11 जनवरी 2014 को हुई थी । सबकुछ कम्प्लीट है लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं लगने से...

अध्यक्ष : सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि अभी तत्काल स्वीकृति नहीं है । आपने जो पूछा उसका जवाब मिल गया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-'ब' 2197 (श्री आलोक कुमार मेहता, क्षेत्र सं0-134, उजियारपुर)</u>

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बढ़ौना पंचायत के अंतर्गत बढ़ौना पंचायत के वार्ड सं0-7 के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये प्रश्न पहले का है ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : मिनी जलापूर्ति योजना के तहत डी0एन0ए0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के द्वारा एक बोरिंग का कार्य हुआ था जो कार्यरत नहीं है । एजेंसी द्वारा अन्य कार्य एवं पाइप लाइन एवं पम्प चैम्बर आदि का कार्य नहीं किया गया । संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण वसूली की कार्रवाई उनसे की जा रही है ।

उक्त वार्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय नल-जल योजना के तहत उसे आच्छादित किया गया है ।

इस योजना से आच्छादित वार्ड में कुल 181 घर हैं, जिनमें से 168 गृह जल संयोजन दिया गया है और शेष घरों का आच्छादन एक सप्ताह के अंदर करा दिया जायेगा।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, जिस योजना के तहत पम्प लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस पम्प का लोकेशन महादलित वर्ग के लगभग दो हजार आबादी के बीच में किया गया था लेकिन पता नहीं किस डीमोटिवेशन से उसको वहां पर नहीं गाड़ने की प्रवृति शुरू से बनी..

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति ने चाहे वह पदाधिकारी हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हों यदि उन्होंने नहीं लगाया तो उन पर कार्रवाई कितनी जल्दी, पांच साल हो गया है महोदय । ये पांच साल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अभी प्रश्न पूछने के बाद क्या कार्रवाई होगी कम से कम सरकार समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन तो दें ।

अध्यक्ष : सुझाव है ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये पुराना मामला है वर्ष 2015-16 का मामला है और वर्ष 2015-16 में कंपनी के द्वारा बोरिंग किया गया और वह कंपनी भाग गयी तो जो भी पैसे सरकार से ली गई है उसकी वसूली का हमने आदेश दिया है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, उस बोरिंग को तो करवा दिया जाय । वसूली की प्रक्रिया अभी...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जानकारी प्राप्त कर लीजियेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नल-जल योजना...

अध्यक्ष : श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री आलोक कुमार मेहता : नहीं, ये नल-जल योजना में...

(व्यवधान)

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, 181 में से 168 घर का हमने दे दिया है और शेष का...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : इस योजना के तहत उसे पूरा करवा दिया जाय ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : यह योजना माननीय सदस्य, अब नहीं होगा ।

अध्यक्ष : अब आपका दूसरा प्रश्न आ गया, माननीय मंत्री जी । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : उत्तर नहीं हुआ महोदय ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेता हूं और माननीय सदस्य को इसकी जानकारी मैं दे देता हूं ।

अध्यक्ष : हाँ जानकारी आप लेकर दे देंगे ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : यह महादलितों का मामला है...

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : जी, मैं कार्रवाई करूंगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : और किसी राजनीति के तहत की जा रही है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-'क'-321 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री अरूण शंकर प्रसाद जी के जवाब को पढ़ें ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

उक्त मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण मेसर्स विश्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा अधूरा कार्य किया गया था । जिसके कारण एकरारनामा को विखंडित किया जा चुका है । वर्तमान में कटैया मिनी जलापूर्ति योजना अंतर्गत 4 भैट, 16 स्टैण्ड पोस्ट के माध्यम से जलापूर्ति चालू है ।

वर्तमान में कटैया पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है और इस पंचायत में 'हर घर नल का जल' का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो माननीय मंत्री जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति से सुनिएगा तब न ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मूल प्रश्न लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से ही पहले हुआ था, जिस पर इन्होंने उस समय पंचायती राज मंत्री के हवाले क्वेश्चन को कर दिया था । सदन का काफी लंबा समय बर्बाद हुआ है इस प्रश्न में महोदय और फिर पंचायती राज स्थानांतरित करके इस प्रश्न को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भेजा है तो जिस पदाधिकारी ने पहले इनको गुमराह किया कि हमारे विभाग का यह प्रश्न नहीं है, पहले तो उन पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं और दूसरा जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, वह उत्तर आंशिक है। महोदय, उसमें आनन-फानन में इस बीच में पी0एच0ई0डी0 डिपार्टमेंट ने पानी किसी तरह से चालू कर दिया है । एक साइड का जो लीकेज था, उस तरफ का पानी बंद कर दिया है उधर के लोगों का और दूसरी तरफ का चालू किया है । आधी आबादी को पानी मिल रहा है और आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा है, उसकी चहारदीवारी ध्वस्त है । क्या माननीय मंत्री जी इन कार्यों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के दो पूरक प्रश्न हैं कि जिन्होंने इस प्रश्न को ट्रांसफर किया पंचायती राज विभाग में और फिर पंचायती राज विभाग ने ट्रांसफर किया लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में तो ये करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनसे आप स्पष्टीकरण और कार्रवाई के संज्ञान में लीजिए ।

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है वह वर्ष 2012-13 का है और यह मिनी जलापूर्ति के द्वारा यहां उस टोला में स्टैण्ड के द्वारा नल-जल योजना, अभी भी मेरा 16 स्टैण्ड से जलापूर्ति मोहल्ला में मिल रहा है बाकी जो शेष दूसरा पार्ट है, उसको पंचायती राज विभाग को दे दिया गया है । वह पहले से ही जब सरकार ने तय किया कि नल-जल योजना पंचायती राज करेगा तो यह शेष वार्ड पंचायती राज के अधीन चला गया है इसीलिए वहां पंचायती राज विभाग द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहले भाग का तो उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया लेकिन दूसरे पार्ट के प्रश्न का जो उत्तर उन्होंने दिया है कि पंचायती राज को कर देंगे तो एक ही बोरिंग से पानी चलेगा और आधा को पी0एच0ई0डी0 डिपार्टमेंट देखेगा और आधा को पंचायती राज विभाग देखेगा, यह कैसे होगा महोदय मैं जानना चाहता हूं ?

डॉ0 रामप्रीत पासवान, मंत्री : महोदय, यह पूरे बिहार में इस तरह का माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं । बिहार में नल-जल योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबको नल से जल देना तो आधा हम मात्र 5 हजार 500 पंचायत करते हैं, शेष पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है इसीलिए यह पहले से ही तय है ।

(व्यवधान)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जो चिन्ता है कि एक ही पंचायत में दोनों विभागों से कैसे होगा तो वार्ड के हिसाब से न बंटा हुआ है माननीय मंत्री जी ?

(व्यवधान)

हाँ वार्ड के हिसाब से है । आप बैठ जाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, तो बोरिंग किससे होगा...

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न सं0-'ख'-966 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र सं0-133, समस्तीपुर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह प्रश्न पंचायती राज विभाग को स्थांतरित किया जा रहा है । जो नाले की लंबाई है, उसमें एक सौ मीटर स्थानीय नगर निकाय क्षेत्र में है जिसके निर्माण के लिए हमने आदेशित भी कर दिया है और एक किलोमीटर है जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसे पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया है ।

अध्यक्ष : चलिये, ट्रांसफर किया गया है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न आज से 10 दिन पहले आया था उस समय भी माननीय मंत्री जी के द्वारा यही जवाब दिया गया था जो अभी दिया गया है तो फिर एक सप्ताह के बाद दोबारा आया है आज ? यही प्रश्न आज से 10 दिन पहले भी आया है । उसमें भी कहा गया था कि...

टर्न-4/मुकुल-राहुल/18.03.2021

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह 4 मार्च, 2021 को सदन के द्वारा स्थगित किया गया है तो आप इसको दिखवा लें, दिखवाकर के इसी सत्र में । श्री नीतीश मिश्रा ।

(व्यवधान)

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, अब नगर निगम हो गया है इसलिए वह नगर विकास में ही आयेगा, आप ही जवाब दे दें । सर, क्या स्थगित हुआ ?

तारांकित प्रश्न संख्या-2433 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-2434 (श्री अरूण कुमार सिन्हा, क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक-112/आ0, दिनांक-12.03.2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि बड़हिया प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विगत छः माह अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक 86.95 प्रतिशत लाभुकों द्वारा पॉस मशीन पर शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, जिसका विवरण पब्लिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है । वर्तमान में फरवरी-मार्च, 2021 के खाद्यान्न का वितरण एक साथ किया जा रहा है ।

श्री अरूण कुमार सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल इंकार किया है, माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं है और वितरण हो रहा है लेकिन मेरी स्पष्ट जानकारी है कि वहां करीब वितरण बड़हिया प्रखंड में खाद्य सुरक्षा के तहत चार-पांच महीने से यह खाद्य सुरक्षा का वितरण नहीं हो रहा है जिससे बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 के कार्डधारी या गरीब लोगों को काफी असुविधा हो रही है और मंत्री महोदया, यह कह रही हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट हूं और मैंने इसकी जानकारी ली है । क्या ये इसका पुनर्निरीक्षण करवाने की कार्रवाई करेंगी ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, पुनर्निरीक्षण करवा लीजिए, इसकी पूरी जांच करवा लीजिए ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जी । मेरे पास अप्रील माह से दिसम्बर तक की छायाप्रति भी है जो हर माह वितरण हुआ है तो हम फिर से इसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्षः ठीक है, आप दिखवा लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, मनेर, बिहटा में अक्टूबर का हुआ ही नहीं है और उनके यहां प्रदेश का है कि पूरे प्रदेश में बांटा गया है, डिलीवरी हुई है और हमारे यहां अक्टूबर माह का मिला ही नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्डधारियों को प्रत्येक माह में अनाज वितरण नहीं होता है । महोदय, एक जगह माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता जहां का कहे वहां का नहीं, पूरे बिहार में यह स्थिति है । महोदय, प्रत्येक माह बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्डधारियों को अनाज नहीं मिलता है तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं क्या पूरे बिहार में कोई उच्चस्तरीय जांच करना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं ?

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एकमात्र बड़हिया प्रखंड से संबंधित है, यदि माननीय सदस्य दूसरे रूप में अन्य जगह का फिर लायेंगे तो सरकार जवाब देगी ।

अध्यक्षः आप दिखवा लीजिएगा ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मैं एक, महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप संज्ञान में ले लें, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह पूरे बिहार का मामला है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य कहीं स्पेसिफिक जगह का या कोई पंचायत के बारे में बतायेंगे तो हम जांच करवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, ये सदर प्रखंड दरभंगा जिला में दो साल की जांच करवा लें वहां पर छ: महीना में एक महीने का सामान मिलता है ।

अध्यक्ष: मंत्री जी, आप दिखवा लीजिए । ठीक है । श्री सिद्धार्थ सौरव ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, लखीसराय वाला का क्या हुआ ? ये लखीसराय वाला जांच करवायेंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, लखीसराय वाला जांच करवा लीजिएगा ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री: ठीक है, दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: श्री सिद्धार्थ सौरव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2435 (श्री सिद्धार्थ सौरव, क्षेत्र संख्या-191, विक्रम)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत, विक्रम के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय पत्रांक 359 दिनांक-01.02.2012 द्वारा स्वीकृत 9 पदों के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1150, 1151, 1152, 1153 एवं 1154 दिनांक-04.04.2013 द्वारा सृजित पदों का आरक्षण रोस्टर बिंदु अनुमोदित किया गया । उक्त पदों के विरुद्ध अनुमोदित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर नियुक्ति की गई है ।

इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, पटना से इन नियुक्तियों की वैधता की जांच कराकर प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक-261, दिनांक-12.03.2021 द्वारा की गई है।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए ।

श्री सिद्धार्थ सौरव: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं कि बिहार एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, 2008 के अंतर्गत या यूं कहा जाए कि बिहार विज्ञापन नीति, 2008 के अंतर्गत हर नगर पंचायत को जो सुनिश्चित कराना है कि बहाली की सूचना का प्रकाशन सूचना जनसम्पर्क विभाग से प्रचलित अखबार में कराया जाय, यह प्रक्रिया विक्रम नगर पंचायत के द्वारा पूरी की गई थी कि नहीं, यह जानकारी हम लेना चाहेंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत विक्रम के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय पत्रांक 359 दिनांक-01.02.2012 द्वारा स्वीकृत 9 पदों के विरूद्ध जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक 1150, 1151, 1152, 1153 एवं 1154 दिनांक-04.04.2013 द्वारा सृजित पदों का आरक्षण रोस्टर बिंदु अनुमोदित किया गया है, उक्त पदों के विरूद्ध अनुमोदित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर नियुक्ति की गई है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी पटना से इन नियुक्तियों की वैधता की जांच कराकर प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक 261 दिनांक-12.03.2021 द्वारा की गई है, जिला पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन आने दीजिए फिर उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हर नगर पंचायत का यह सुनिश्चित करना है कि सूचना जनसंपर्क विभाग, इसको प्रचलित अखबार में, लोकल अखबार में नहीं, प्रचलित अखबार में प्रकाशित करे नहीं तो यह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा कि जो भी रोस्टर के अनुकूल बहाली हुई है उसमें उम्र की सीमा के मापदंड का ख्याल रखा गया है या नहीं और रोस्टर की बहाली के अनुकूल जो आरक्षित पद हैं उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का मुद्दा रखा गया है या नहीं ? इन सब बिंदुओं की जांच माननीय मंत्री जी कब तक करवा लेंगे, एक समय सीमा माननीय मंत्री जी बताएं ।

अध्यक्षः ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य ने...

अध्यक्षः माननीय सदस्य ने दो पूरक रखा है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, नहीं इनके तीन पूरक हैं और माननीय सदस्य ने जिन तीन बिंदुओं पर चर्चा प्रकट की है इन तीनों बिंदुओं पर ही जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है, प्रतिवेदन आने दीजिए, अगले माह अप्रील में ही मुझे लगता है कि किसी भी समय प्रतिवेदन आ जाएगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री सिद्धार्थ सौरवः धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः ललित जी एक मिनट, माननीय मंत्री जी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से नहीं कराकर लोकल अखबार से कराकर खानापूर्ति किया गया है, तो क्या उस सबकी बहाली को तत्काल आप रोक देंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, तत्काल बहाली रोकने में कठिनाई होगी, लेकिन जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन हमने शीघ्र मांगा है और उसमें विज्ञापन की जो नीति है उसका पालन हुआ है कि नहीं यह भी उस प्रतिवेदन में मांगा गया है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, आसन से भी यह कहा गया है, तो इसको रोकने में क्या...

अध्यक्षः ठीक है । मंत्री जी ने कहा है कि वे जानकारी ले लेते हैं और नियमानुसार उसको देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2436 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिले के जितवारपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम चकहुसैन (पोखरैड़ा) से मगरदही घाट पुल तक बूढ़ी गंडक नदी के दांए तटबंध का चौड़ीकरण कर बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है । जिसके क्रम में बूढ़ी गंडक नदी के दांए तटबंध का अतिक्रमण हटाया गया है। अंचल अधिकारी, समस्तीपुर को इन परिवारों के सर्वेक्षण का निदेश दिया गया है । सर्वेक्षण उपरान्त वास भूमिहीन पाए जाने पर नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः सर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अंचल अधिकारी के माध्यम से उसकी जांच कराई जा रही है, तो वहां पर अगर जमीन उपलब्ध नहीं हुई, तो कैसे वहां पर वास उपलब्ध कराया जाएगा, जो सरकारी प्रावधान है कि एम0बी0आर0 जमीन का जो है उस हिसाब से देते हैं, उस हिसाब से अगर आप देते तो बहुत भूमिहीनों को आप दे पाते, तो क्या कोई ऐसी नीति है कि उसको चार गुना दर पर जैसे और विभाग दिया करते हैं वैसा चार गुना, दो गुना या तीन गुना देते हुए क्या वैसे लोगों को बसाने का काम करेगी ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है और इनका पूरक प्रश्न है, तो वहां पर जमीन अगर उपलब्ध नहीं होगी, तो हमारी सरकार की नीति है वर्ष 2013 से लीज नीति जो लागू हुई उसके तहत एम0बी0आर0 के आधार पर जमीन खरीद कर भी हम गरीबों को बसाने का काम करेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः महोदय, कितने दिनों में उनको वास उपलब्ध करवा देंगे ?

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः महोदय, निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में मैं करवा दूंगा, आप चिन्ता मत कीजिए, हम से मिल लीजिएगा ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः सर, एक साल लगेगा, कुछ गरीब लोग...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अगला वित्तीय वर्ष आने में एक साल नहीं है, कुछ दिन हैं, बैठ जाइए । श्री भारत भूषण मंडल ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2437 (श्री भारत भूषण मंडल, क्षेत्र संख्या–40, लौकहा)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जाता है । बल्कि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक/कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के तहत अनुमानित लागत 8,000/एम0टी0 अधिकतम मिट्रिक टन रुपये 400 रुपये समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा 35 प्रतिशत अधिकतम 140 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान उपलब्ध करायी जा सकती है । अतएव अगर कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक समूह/कृषक उक्त क्षेत्र में फल एवं सब्जी भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है, तो राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी ।

अध्यक्षः पूरक पूछिए ।

श्री भारत भूषण मंडलः महोदय, पूरक नहीं पूछना है ।

अध्यक्षः पूरक नहीं पूछना है, चलिए धन्यवाद । श्रीमती...

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय...

अध्यक्षः उनको पूरक नहीं पूछना है, तो आप कहां से आए हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, बिहार के अन्दर 395 कोल्ड स्टोरेज हैं जिसमें 191 कोल्ड स्टोरेज बंद पड़े हैं, ये बंद क्यों पड़े हैं सरकार को निश्चित रूप से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। महोदय, बगल के पश्चिमी बंगाल में कोल्ड स्टोरेज चूंकि किसानों का सामान रखता है कृषि आधारित उद्योग...

अध्यक्षः आप अलग से प्रश्न ले आइएगा । यह प्रश्न जो है मुख्यालय में कब तक कोल्ड स्टोरेज बनेगा ?

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, इसीलिए वहां की बिजली सब्सिडाइज है, वहां पर कॉमर्शियल चार्ज नहीं लगता है...

अध्यक्षः आप बैठ जाइए । श्रीमती रेखा देवी ।

टर्न-5/यानपति-अंजली/18.03.2021

तारांकित प्रश्न संख्या-2438 (श्रीमती रेखा देवी, क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मसौढ़ी बस पड़ाव के निर्माण हेतु, अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से भूमि के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी मसौढ़ी के पत्रांक-244, दिनांक- 6 फरवरी, 2021 द्वारा बस पड़ाव के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-मसौढ़ी, थाना नं0-144, खाता-171, खेसरा संख्या-234, रकबा-66 डी0, किस्म-गैर-मजरूआ आम उपलब्ध कराया गया है । वर्तमान में अंचलाधिकारी, मसौढ़ी से प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया है ।

अनापत्ति के साथ भूमि हस्तांतरण होने पर नगर परिषद, मसौढ़ी को उपलब्ध राशि के आधार पर बस पड़ाव निर्माण कार्य से संबंधित कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्रीमती रेखा देवी: महोदय, पूरक पूछते हैं, उत्तर आया हुआ है ।

अध्यक्ष: एक मिनट माननीय मंत्री जी, उत्तर आया हुआ है पूरक पूछेंगे ।

श्रीमती रेखा देवी: महोदय, उक्त भूमि नगर परिषद मसौढ़ी क्षेत्र के विस्तार होने के बाद स्वत: नगर परिषद् मसौढ़ी की जमीन हो गयी है, इसलिए किसी के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है । महोदय, इस पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है । माननीय मंत्री महोदय से इस जमीन की...

अध्यक्ष: माननीय सदस्या, पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती रेखा देवी: महोदय, बस पड़ाव का निर्माण कार्य कब तक चालू करवायेंगे ?

अध्यक्ष: हां, कब तक चालू करवायेंगे माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की भावना से हम भी चिंतित हैं। वास्तव में है क्या कि वह जमीन गैर-मजरूआ आम है और इसीलिये एक बार अनापत्ति प्रमाण पत्र अंचल पदाधिकारी से लेना आवश्यक है और राशि भी उपलबध है, जैसे ही जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जायेगा, हम स्वयं चाहते हैं कि जल्द बने जिससे कि जन सुविधा को हम और बेहतर कर सकें । मैंने स्पष्ट तौर पर निदेशित भी किया है कि 15 दिनों के अंदर ये अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाय और हम शीघ्र ही उपलब्ध राशि से बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा देंगे ।

श्रीमती रेखा देवी: जी, धन्यवाद सर ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, मिल जायेगा, या मंगा लिया जायेगा ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: नहीं, 15 दिनों के अंदर हम मांगे हैं कि काहे कि गैर-मजरूआ नहीं रहता तो दिक्कत नहीं थी, जमीन की जो प्रकृति है न उसके लिए एक बार प्रतिवेदन आना आवश्यक है ।

अध्यक्ष: श्री कृष्णनंदन पासवान, उत्तर संलग्न है, नहीं देखे हैं ?

श्री कृष्णनंदन पासवान: महोदय, जी देखे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2439 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 के आलोक के विभागीय पत्रांक-1713, दिनांक-14.05.2020, 1769, दिनांक- 20.05.2020 एवं 4180 दिनांक-18.12.2020 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से नए नगर निकायों के गठन, पूर्व से गठित नगर निकायों का उत्क्रमण एवं नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त प्रस्तावों में हरसिद्धि बाजार को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित नहीं था । फलस्वरूप उक्त नगर पंचायत के गठन पर विचार नहीं किया गया है । भविष्य में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विचार किया जा सकेगा ।

श्री कृष्णनंदन पासवान: महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरसिद्धि बाजार की जनसंख्या 18000 पार कर चुकी है और नगर पंचायत बनाने की तमाम शर्तें पूरी कर रहा है बाजार । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हरसिद्धि बाजार के हित में जनहित में नगर पंचायत का दर्जा कब तक देंगे और देंगे तो कब तक ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त तक जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन नहीं आ पाया । अब जो आगामी 2021 की जनगणना है उसके प्रकाशित होने के बाद स्वाभाविक तौर पर आबादी का जो एक स्तर तय किया गया है स्थानीय नगर निकाय के विभिन्न स्तर का तो उसमें निश्चित रूप से उसे समाहित करेंगे ।

अध्यक्ष: जनगणना के बाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: हां, 2021 की जनगणना प्रारंभ हो रही है, वह हो जायेगा ।

श्री कृष्णनंदन पासवानः अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह कर रहे हैं कि जनहित में...

अध्यक्षः अब हो गया, स्पष्ट बता दिये हैं, बैठ जाइये । श्री बच्चा पाण्डेय । उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछ लीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2440 (श्री बच्चा पाण्डेय, क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक-244, दिनांक-09.03.2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्रतिवेदित किया गया है कि जून, 2020 से अबतक लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बड़हरिया प्रखंड में कुल 9870 एवं पचरूखी प्रखंड में 7790 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसमें से बड़हरिया प्रखंड में जांचोपरांत 3669 एवं पचरूखी प्रखंड में 1618 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं । शेष आवेदन पत्र नियमानुसार जांचोपरांत अस्वीकृत किये गये हैं ।

नया राशन कार्ड बनाने हेतु लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदन को जांचोपरांत पात्र आवेदकों (लाभुकों) का राशन कार्ड बनाया जा रहा है । यह प्रक्रिया सतत् जारी है ।

श्री बच्चा पाण्डेयः महोदय, जिसका राशन कार्ड बनना चाहिए, उसका नहीं बन रहा है, जिसका नहीं बनना चाहिए, उसका बन रहा है सुविधा शुल्क लेकर और चुन-चुनकर राशन कार्ड बनवाया जा रहा है ।

अध्यक्षः किसका नहीं बनना चाहिए, नाम है बता दीजिए, माननीय मंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे ।

श्री बच्चा पाण्डेयः महोदय, सीवान के एस0डी0ओ0 द्वारा, बी0डी0ओ0 द्वारा रामपुर पंचायत में जिला परिषद् द्वारा राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है जो कि अभी अनियमितता है । जिला परिषद के द्वारा राशन कार्ड बंटवाना नहीं चाहिए...

अध्यक्षः पूरक क्या है?

श्री बच्चा पाण्डेयः महोदय, आपके सामने पूरक है सर कि राशन कार्ड जिला परिषद के माध्यम से नहीं बंटवाना चाहिए, सरकार के माध्यम से बंटवाना चाहिए ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रक्रिया है, लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक में आवेदन दिये जाते हैं उसके बाद उसकी जांच होती है, जांच के बाद एस0डी0ओ0 स्तर पर यह कार्ड निर्गत किया जाता है यदि इस तरह की कोई शिकायत है कि जिन गरीबों का छूट गया है जो आवेदन दिये हैं जो अर्हता रखते हैं उनका नहीं बना है तो हमको सूची दे देंगे तो हम उसको दिखवा के करवा देंगे ।

श्री बच्चा पाण्डेयः महोदय, जब रामपुर पंचायत में जिला परिषद् के द्वारा कार्ड का वितरण किया गया, उस समय जिला अधिकारी महोदय से मैंने बात किया कि सर, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है इसकी जांच करवाई जाय, जब पदाधिकारी ही राजनीति करने लगेंगे तो आम जनता को, गरीबों का कार्ड कैसे बनेगा ?

अध्यक्षः आप यहां पूरक तो पूछ लीजिये, आप तो सुझाव दे रहे हैं । चलिये उनका खत्म हो गया ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय सदस्य स्पष्ट कह रहे हैं कि जो कार्ड बांटा जा रहा है वहां के जिला परिषद् के सदस्य या अध्यक्ष के द्वारा बांटा जा रहा है तो एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, ये माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् के अध्यक्ष किस हैसियत से बांट रहे हैं ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्षः दिखवा लेंगे, इनके संज्ञान में आ गया है । आपका क्या है ?

श्री अनिल कुमार साहनीः महोदय, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रखंड में एम0ओ0 नहीं है और एम0ओ0 नहीं रहने के कारण....

अध्यक्षः वह अलग से प्रश्न लाइयेगा । श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-2441 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः उत्तर स्वीकारात्मक है । मेहसी देश एवं विदेश में लीची उत्पादन के लिए मशहूर है । विगत तीन वर्षों से यहां लीची स्टिंग बग कीट लगने से किसान काफी परेशान हैं । राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुशहरी, जिला उद्यान कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र, पीपराकोठी के द्वारा भी इससे बचाव हेतु समय-समय पर कृषकों को गोष्ठी एवं अखबार के माध्यम से भी बचाव हेतु सुझाव दिया गया, जिससे कुछ कृषकों के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया गया तथा लाभ भी मिला । किसानों को एक साथ लीची स्टिंग बग से बचाव हेतु छिड़काव की सलाह दी जा रही है, ताकि मेहसी प्ररिक्षेत्र में समेकित रूप से इसका नियंत्रण हो सके ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं । हम कहना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण के मेहसी की लीची पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है महोदय । वहां 11 हजार हेक्टेयर में लीची की खेती होती है हर वर्ष हजारों लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन विगत पांच सालों से सिंटगम कीटों के कारण वहां मंजर कीट के चलते नष्ट हो जा रहा है ।

अध्यक्षः छिड़काव नहीं हो रहा है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः महोदय, छिड़काव नहीं हो रहा है मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हर फसल की तरह लीची फसल का भी कबतक बीमा कराकर और लीची पर कबतक छिड़काव कराने का विचार रखते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, माइक पर बोलिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, जो पूरक प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य ने उसका उत्तर तो यहां नहीं दिया जा सकता क्योंकि उस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है उसका बीमा कराना या फिर दवा का छिड़काव करना, दवा का छिड़काव विभाग नहीं करती है संबंधित किसान करते हैं और उन्हें दवाओं को छिड़काव कराने के लिये जो सुविधायें प्राप्त करायी जाती हैं वे सुविधायें लें और मैंने उनके जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां-जहां से शिकायतें मिली हैं वहां-वहां दवा का छिड़काव कराने के लिये जो सहायता देनी है हमलोगों ने दी है, दवा जो है सो भिजवाया है ।

अध्यक्षः चलिये, उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब लीची फसल है जिस तरह अन्य फसल है उसी तरह लीची की भी फसल है तो अन्य फसल के लिये...

अध्यक्षः इन्होंने बता दिया जो प्रावधान है वो करेंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादवः महोदय, तो हम आग्रह करेंगे आसन से कि लीची बीमा का भी फसल कराया जाय ।

अध्यक्षः श्री रामप्रवेश राय । उत्तर संलग्न है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2442 (श्री राम प्रवेश राय, क्षेत्र संख्या-100 बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित सड़क की कुल लंबाई लगभग 8364 (तेरासी सौ चौसठ) फीट है, जिसमें से लगभग 4100 (एकतालीस सौ) फीट सड़क का पी0सी0सी0 निर्माण किया जा चुका है । शेष भाग ईंट सोलिंग का बना हुआ है, जो बाढ़ एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ है । शेष बचे सड़क का मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत चयन किया गया है । नगर पंचायत, बरौली को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, बरौली द्वारा कराया जायेगा ।

श्री राम प्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है उसमें इनके कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जवाब दिया गया है यह जो उनके जवाब में है कि 8364 फीट है जिसमें

से 4100 फीट सड़क का पी0सी0सी0 निर्माण किया जा चुका है यह जवाब भी अध्यक्ष महोदय अधूरा है ।

अध्यक्षः आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री राम प्रवेश रायः महोदय, मैं जानना चाहता हूं जो भी हो जो शेष भाग है इस सड़क का उसका पी0सी0सी0 कार्य कबतक करा देंगे और हम नगर पंचायत हम नगर परिषद बरौली लिखे हैं इनके जवाब में नगर पंचायत बरौली आया है तो यह नगर पंचायत का दर्जा इन्होंने दे दिया है, सरकार ने ।

अध्यक्षः पूरक क्या है ।

श्री राम प्रवेश रायः महोदय, पूरक है कि क्या अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्पष्ट उत्तर है और जो शेष भाग बचा हुआ है जो जर्जर ईंट सोलिंग है वह नगर पंचायत के बोर्ड से पारित भी है और निदेशित भी किया गया है कि उपलब्ध राशि के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण अतिशीघ्र हो जाना है । उसके लिये माननीय सदस्य निश्चिंत रहें ।

अध्यक्षः चलिये, अब तो कह ही दिये कि पास है तो उसपर अब क्या प्रश्न पूरक का ।

श्री राम प्रवेश रायः अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध राशि क्या नगर परिषद् को भी राशि उपलब्ध नहीं होगी मैं यही जानना चाहता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कार्य करा दें ।

अध्यक्षः ठीक है, आप संज्ञान में ले लीजिये । श्री महानंद सिंह । उत्तर मुद्रित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2443 (श्री महानंद सिंह, क्षेत्र संख्या-214 अरवल)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । संविदा अमीन की सेवा कार्यानुभव के आधार पर सेवा नियमित करने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12534/सा0, दिनांक- 17 सितम्बर, 2018 द्वारा संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू किया गया है, जिसमें प्रावधानित है कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी है साथ ही संकल्प संख्या 1003/पटना, दिनांक- 22 जनवरी, 2021 में रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में उन पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता (वेटेज) का प्रावधान किया गया है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 1767 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना को भेजी गयी है, जिसमें पूर्व से ही बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अधिमानता का प्रावधान करते हुये संविदा पर नियोजित अमीन को कार्यानुभव के आधार पर अधिमानता (वेटेज) दिया गया है । स्पष्ट है कि संविदा पर कार्यरत अमीन की सेवा कार्यानुभव के आधार पर नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति में कार्यानुभव के आधार पर अधिमानता का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ 1767 पदों पर अमीन की प्रक्रियाधीन नियमित नियुक्ति में संविदा अमीन को दिया गया है ।

श्री महानंद सिंह: यह जो अमीन के लिए जो 1767 रिक्त पदों के नियमित नियुक्ति के लिये जो आवेदन लिया गया है उसमें केवल इंटरमीडिएट का लिया गया है जबकि संविदा पर अमीन की जो बहाली की गयी है उसमें अमानत की डिग्री अनिवार्य की गई है इसमें क्यों नहीं दूसरा कि अमीन की जो बहाली की गयी है जिनकी दस साल नौकरी हो गयी और उनके लिये जो वेटेज दिया गया था तो वेटेज देने पर कई लोगों की उम्र खत्म हो गयी तो ऐसी स्थिति में वह तो फॉर्म भी नहीं भर पाये ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/18-3-21

अध्यक्ष: पूरक पूछ लीजिये न।

श्री महानंद सिंह: पूरक में यह कि जो अमीन 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको नियमित क्यों नहीं किया गया और यदि नियमित करने में संविदा नियम या नियमावली में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो यह पहला पूरक है कि इसमें अमानत की डिग्री क्यों नहीं मांगा गया ? दूसरा कि इन 191 और 550 जो अमीन जो संविदा पर बहाल किये गये हैं, उनको नियमित क्यों नहीं किया गया ? तीसरा यदि संविदा कानून में बदलाव की जरूरत है नियमित करने में, तो क्या मंत्री महोदय बदलाव कर सकते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, तीन पूरक पूछे हैं बता दीजिये ।

श्री राम सूरत कुमार,मंत्री: पहला माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कहना है कि जो लोग संविदा पर है उनको परमानेंट किया जाय तो ऐसा व्यवस्था नहीं है । दूसरा कि 1767 जो परमानेंट अमीन की बहाली निकली है, उसमें जो लोग अप्लाई किये होंगे, उनके प्रति वर्ष कार्य के अनुभव के आधार पर पांच साल तक यानी 5 नम्बर उनको एक्सट्रा दिया जायेगा, पांच साल में 25 नम्बर एक्सट्रा दिया जायेगा और इनका तीसरा क्या था सर?

अध्यक्षः हां, तीसरा क्या था ?

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप क्यों उठते हैं, अभी वे खड़े ही हैं। आप हेल्प करना चाहते हैं तो चले जाईए बगल में उनके, हेल्प करिये ।

श्री महानंद सिंहः मंत्री महोदय, पांच साल में आपने कहा कि पांच पांच अंक बढ़ा दिया जायेगा लेकिन जो दस साल नौकरी कर चुके हैं संविदा पर, महोदय 10 साल जो नौकरी कर चुके हैं और उनका उम्र खत्म हो गया, उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, 10 साल के बाद वह कहां जायेंगे, उनका क्या होगा ?

श्री राम सूरत कुमार,मंत्रीः संविदा पर ऐसा जिस समय वे नौकरी के लिए आये थे ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि उनको 10 साल, 15 साल बीत जायेगा, उम्र समाप्त हो जायेगा उसके बाद भी रखेंगे लेकिन जो हमारा परामानेंट व्यवस्था निकला है उसमें हमने उनको वेटेज दिया है कि आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपको प्रतिवर्ष पांच अंक के आधार पर पांच साल में पच्चीस नम्बर देकर आपको हम वेटेज देंगे ।

अध्यक्षः ठीक है । अब श्री पंकज कुमार मिश्र ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, संविदा पर 10 साल तक उनलोगों से काम करवा लिया और वह भी बिहार की जनता है। 10 साल तक लगातार रेगुलर काम करने के बाद भी आप उनकी नौकरी को, जब दूसरे को नौकरी देना चाहते हैं तो उनको नियमित क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

अध्यक्षः उनको वेटेज दिया गया है। अभी बताये न मंत्री जी कि वेटेज दिये हैं ।

श्री महानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, 10 साल में वे लोग दक्ष हो गये हैं हर काम में लेकिन उनको हटा दिया जायेगा । महोदय, यह जो अमानक वाला मामला है, बना अमानक की डिग्री के, केवल साधारण डिग्री के जरिये आप नियुक्ति ले रहे हैं तो वे कैसे हल कर पायेंगे और वे लोग बजाप्ते अमानक की डिग्री के साथ नौकरी कर रहे हैं उनको लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है । इसमें यदि नियमावली में बदलाव की जरूरत है महोदय तो बदलाव करने की जरूरत है ।

अध्यक्षः आपके सुझाव को वे ग्रहण करेंगे।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2444(श्री पंकज कुमार मिश्र,क्षेत्र सं0-29,रून्नीसैदपुर)</u>

श्री पंकज कुमार मिश्रः पूछता हूॅ ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्रीः (1) स्वीकारात्मक है। संयुक्त निदेशक(शष्य, तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्रपुर के पत्रांक 822 दिनांक 17-05-16 द्वारा चार सदस्यीय समिति गठित कर पूर्व सांसद माननीय श्री नवल किशोर राय के अनुरोध पर जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित स्थल जांच का निर्देश दिया गया था ।

(2) जांच समिति द्वारा दिनांक 11-02-15 को स्थल जांच किया गया था। जांच समिति ने पाया कि माननीय पूर्व सांसद द्वारा प्रस्तावित जमीन राजकीय प्रक्षेत्र का आंतरिक भाग का जमीन है, जो प्रक्षेत्र के बीचों बीच होकर के गुजरती है। कृषि विभाग की जांच समिति ने बीचों बीच रास्ता बनाना अनुचित पाया है। जांच समिति की अनुशंसा प्रक्षेत्र के पश्चिमी किनारे से बांध होकर रास्ता बनाने की है ।

(3) प्रक्षेत्र के बीचों बीच आम रास्ता हेतु जमीन देने से स्थानीय लोगों के मवेशी से फसल को नुकसान भी पहुंचेगा । कृषि रोड मैप 2017-22 में आधार बीज के उत्पादन के दिये गये लक्ष्य की पूर्त्ति राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र से ही होती है इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा । विभागीय संकल्प संख्या 1289, दिनांक 18-04-2006 के आलोक में अन्य विभाग को अन्य कार्यों के लिए कृषि प्रक्षेत्र का जमीन नहीं दिया जा सकता है ।

अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2445 (श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता,क्षेत्र सं0 09, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

श्री राम सूरत कुमार,मंत्रीः 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग की भूमि एवं हस्तांतरण के पश्चात् महिला स्वाभिमान बटालियन की भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु अभी तक किसी के द्वारा भूमिहीन होने एवं बन्दोबस्ती हेतु आवेदन किसी सक्षम स्तर पर प्राप्त नहीं है ।

3- उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो है प्राप्त है लेकिन उत्तर जो है बहुत ही गोल तरीके से घुमा दिया गया है और उसमें हमारा पूरक है कि उत्तर से जो संकेत मिलता है कि सरकार बिना पुनर्वास के वहां वाल्मिकीनगर के सैंकड़ों गरीबों को उजाड़ देना चाहती है तो एक तो है कि यह सरकार क्या इस पर अडिग है ? दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं

महोदय, कि यदि वहीं पर जल संसाधन विभाग की जमीन है जहां महिला स्वाभिमान बटालियन के लिए प्रस्तावित है और वहीं जमीन है जो गैर बसावट वाली है और वहां लोगों का कम पुनर्वास का मामला आयेगा, वहां कम लोग उजड़ेंगे और उनको असानी से बसा सकेगी सरकार, तो उस पर उसको क्यों नहीं ट्रांसफर करना चाहती है और तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहां गरीब जो वाल्मीकिनगर ब्रीज बन रहा था वहां बसे, जो होटल चलाते थे, चाहे थानों में थे या मजदूर के काम में गये, 50 साल पहले वीरान जगह को उनलोगों ने बसाने का काम किया और वह बस गये हैं भूमिहीन हैं तो सरकार उनको पर्चा, उस जमीन पर जहां बसे हैं वह देगी कि नहीं ?

श्री राम सूरत कुमार,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि उनको उजाड़ दिया गया । महोदय, वह जमीन महोदय जल संसाधन विभाग का है और वहां महिला बटालियन का कैम्प बनना है और उसके द्वारा जो लोग हटाये जा रहे हैं उनके द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है कि उनको बसाने की व्यवस्था की जाय तो हम जानकारी ले कर के जो लोग उस जमीन से हटेंगे, जल संसाधन विभाग की जमीन से तो वहां पर हम बसाने का अलग से कार्य करेंगे।

अध्यक्षः श्री ऋषि कुमार ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्षः वह तो बोले कि हम संज्ञान में ले रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः महोदय, वहीं जल संसाधन विभाग की जमीन है जिसमें बटालियन महिला कैम्प बनाया जा सकता है और वहां बनाने से बहुत कम घर उजड़ेगा तो सरकार उसको उस जमीन पर ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकती है और इससे कम लोगों के पुनर्वास का मामला आयेगा ।

अध्यक्षः श्री ऋषि कुमार जी का होने दीजिये, समय समाप्त होने पर है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः नहीं तो मंत्री जी बोलें ।

अध्यक्षः वे बोले हैं कि हम संज्ञान में ले लिये हैं संज्ञान में लेकर जानकारी लेंगे तब न?

तारांकित प्रश्न संख्या- 2446(श्री ऋषि कुमार,क्षेत्र सं0-220,ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह,मंत्रीः अस्वीकारात्मक है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 2152 दिनांक 21 मई, 2020 से वैसे प्रभावी मजदूर जो एन0एफ0एस0ए0 के तहत अच्छादित नहीं है अर्थात जिनका राशन कार्ड नहीं है तथा विभागीय पत्रांक 2201 दिनांक 27 मई, 2020 द्वारा वैसे सभी व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, को आत्मनिर्भर भारत

योजना के अनतर्गत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । तदालोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 146/आ0, दिनांक 4 मार्च, 2021 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रति प्रवासी मजदूर को मुफ्त खाद्यान्न माह मई, 2020 से माह जून, 2020 तक आपूर्त्ति की गयी है । ग्राम पंचायत, महुआंव के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री रामदीप सिंह, अनुज्ञप्ति संख्या 02/0/1986 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में पात्रता रखने वाले कुल 137 परिवार से संबंधित 755 इकाई को मुफ्त चावल एवं 01 किलो प्रति परिवार की दर से 137 परिवारों को मुफ्त चना की आपूर्त्ति की गयी है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी दर पर उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रखंड (ओबरा) के सभी पात्र लाभुकों का माह अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत मुफ्त खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया है।

श्री ऋषि कुमार: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि 137 परिवारों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आठ महीने का राशन दिया गया है और महोदय संजय राम जी है मंगरू बिगहा के, जो पांच परिवारों के साथ आये थे और उनको मात्र एक ही महीने का पांचों परिवार को मिला और बाकी 7 माह का नहीं मिला तो क्या माननीया मंत्री जी 137 परिवारों को जिनको खाद्यान्न मिला, उसकी सूची मुझे प्रदान करवा सकती हैं ?

श्रीमती लेशी सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है । मैंने उत्तर में महोदय कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । तदआलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 14643 दिनांक 4-3-21 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि प्रति प्रवासी मजदूर को मुफ्त खद्यान्न माह मई, 2020 से माह जून, 2020 तक आपूर्त्ति की गयी है । दो महीने का महोदय दिया गया है । माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ लोग छुट गये तो इनका है कि 200 परिवार को नहीं मिला है जिसमें कि हमने उत्तर में कहा है महोदय कि 137 परिवार को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न दिया गया है महोदय, शेष यदि 200 में बचे हुए जो 63 लोग हैं महोदय, यदि हमको वह उपलब्ध करवा देंगे तो हम इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

टर्न–7/मधुप/18.03.2021

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दो मिनट सुन लीजिए रिपोर्ट ।

आज अल्पसूचित प्रश्न 4 थे जिसमें 3 के उत्तर आये हैं, 75 प्रतिशत । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 100 प्रतिशत, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग 100 प्रतिशत, कृषि विभाग 50 प्रतिशत ।

तारांकित प्रश्न 186 में 135 के उत्तर आये हैं । पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 100 प्रतिशत, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 100 प्रतिशत, नगर विकास एवं आवास विभाग 46 प्रतिशत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 73 प्रतिशत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 87 प्रतिशत और सहकारिता विभाग 75 प्रतिशत ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, हमारे माननीय सदस्य....

श्री महबूब आलम : महोदय, हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष : ठीक है । कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । बैठिये । (व्यवधान) कार्यस्थगन की सूचना ली जा रही है । क्या कहना है बताइये । (व्यवधान) कार्यस्थगन सुन लीजिए, उसके बाद ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक– 18 मार्च, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । (व्यवधान)

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के परिवार के सदस्य की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, विधायक भयभीत हैं....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । इसके बाद । बैठ जाइये, सिद्धार्थ जी । पहले कार्यस्थगन का सुन लें । माननीय सदस्य, अब कार्यस्थगन को ध्यान से सुनिए, बैठ जाइये । सभी सदस्य बैठ जाइये। (व्यवधान) ऐसे नहीं । सुनिए, इसके बाद ।

श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री महानंद सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अरूण सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री गोपाल रविदास, श्री रामबली सिंह यादव, श्री संदीप सौरभ, श्री ऋषि कुमार, श्री रामवृक्ष सदा, श्री चेतन आनंद, श्री राजवंशी महतो, श्री विनय कुमार, श्री सतीश कुमार एवं श्री भूदेव चौधरी ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के

तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री महबूब आलम वेल में आ गए)

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : माननीय सदस्य संतोष कुमार मिश्रा जी के परिवार की हत्या हुई है, 22 दिन हो गया। आज तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया । जब माननीय सदस्यों की यह स्थिति है तो बिहार की स्थिति क्या है ? सरकार इसपर जल्द जवाब दे । उनके परिवार में हत्या हुई है, कोई भी इसपर कार्रवाई नहीं हुई है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

(इस अवसर पर भाकपा(माले) सहित विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर जाकर विषय को रखेंगे तो सरकार भी सुनेगी, आसन भी सुनेगा । (व्यवधान) आप सभी अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बात को रखेंगे तो आसन भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगी लेकिन सभी एक साथ अपनी बात को रखेंगे तो कैसे सुनेंगे ? आप अपने स्थान पर जाकर अपने विषय को रखें । (व्यवधान) आप भी अपने स्थान पर जायं, आपके दलीय नेता विषय को रखें ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

बैठ जायं सभी लोग । सभी लोग पहले बैठ जाइये । अब दोनों दलीय नेता हैं, एक-एक करके विषय को रखें । फिर इनकी भी बात को सुन लेंगे । बैठ जाइये ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय...

अध्यक्ष : संक्षेप में दो-दो वाक्य में अपनी बात को रखिए ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय सदस्य के परिवार में हत्या हुई है । 22 दिन हो गये, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये । लोग कहते हैं कि बिहार में कानून का राज चल रहा है, जिस सदन के माननीय सदस्य के परिवार में.....

अध्यक्ष : आपकी सूचना को सरकार ने ग्रहण किया है । बैठ जाइये । महबूब जी, बैठ जाइये । अब श्रीमती रेखा देवी जी । संक्षेप में, पूरा पढ़िये नहीं, आप बताइये ।

श्रीमती रेखा देवी : महोदय.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बोलने दीजिए इनको । आप इनको पढ़ने देना चाहते हैं ? बैठ जाइये ।

श्रीमती रेखा देवी : महोदय, पटना जिलान्तर्गत धनरूआ.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं । नेता जब खड़े हैं तो कोई सदस्य नहीं उठेंगे । बैठ जाइये । (व्यवधान) सरकार ने संज्ञान में लिया है इस विषय को । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, एक मिनट समय दिया जाय । एक माननीय सदस्य 20 दिन से डर से सदन में नहीं आये हैं । आज घटना के 20 दिन हो चुके हैं और सरकार ने गिरफ्तारी नहीं की है अभियुक्तों की । क्या सरकार यह कबूल करती है कि विधायक खौफ में जी रहे हैं?

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग । संज्ञान में ले लें । (व्यवधान) बैठिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई मुस्तैदी से करना चाहती है । माननीय विधायक के परिजन की हत्या हुई है, स्वाभाविक रूप से यह चिन्ता की बात है । कभी-कभी अपराधी को पकड़ने में थोड़ा विलम्ब होता है लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । अच्छा आप बोल दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय....

श्री महबूब आलम : महोदय, तीन कृषि कानून 1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 2. कृषि(सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020 और 3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने सत्ता के क्रूरतम हमले को झेलते हुए 111 दिन पूरे कर लिये हैं । महोदय, केन्द्र सरकार किसान आंदोलन में फूट डालने की नीयत से इसमें छोटा-बड़ा किसान का खेल खेल रही है और खुद को छोटा किसान का हितैषी होने का दिखावा कर रही है ।

अध्यक्ष : अब चलिए हो गया ।

श्री महबूब आलम : जबकि हर कोई जानता है कि भूमिहीन-बटाईदार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ तक नहीं मिलता ।

अध्यक्ष : अब आप बोलिये । दो सेंटेन्स में बात को रखिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, 2017 का मामला है ।

अध्यक्ष : शॉर्ट में, संक्षेप में । पढ़िये मत पूरा ।

श्री कुमार सर्वजीत : चार लाईन में ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । सुन लीजिए इनका भी । आपका तो सुन लिया गया । इनका भी सुनिएगा ?

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, 2017 का मामला है । 2017 में, मसौढ़ी की विधायिका एक दलित परिवार से आती हैं । ये सड़क से अपने क्षेत्र की ओर जा रही थीं, धनरूआ थाना में....

अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री कुमार सर्वजीत : चार लाईन में समाप्त कर दूँगा, महोदय । यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव हमलोगों ने लाया है । ये सड़क से गुजर रही थीं, थाना में हजारों लोगों की भीड़ थी और स्थानीय जन-प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने जानना चाहा, उसके बाद वहाँ के थाना प्रभारी और डी0एस0पी0 के द्वारा इनको दलित महिला कहकर अपमानित करना, जिसका आवेदन इन्होंने थाना में दिया कि हम जन-प्रतिनिधि हैं, दलित हैं, हमको गाली-गलौज किया गया है और इनके आवेदन को नकारते हुए सुपरवीजन में, जब एफ0आई0आर0 हुआ, महोदय, 356/17 एफ0आई0आर0 की कौपी है, उसमें इनका नाम कहीं से नहीं दी गई, जब सुपरवीजन उस डी0एस0पी0 के द्वारा किया जाता है, उसके बाद 30 दिन से 90 दिन के बाद सुपरवीजन में यह माननीय विधायिका का नाम जोड़ा जाता है ।

अध्यक्ष : सर्वजीत जी, आप यह बताइये कि यह 2017 का मामला 2021 में उठा रहे हैं ?

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, क्यों उठा रहे हैं, एक लाईन ।

अध्यक्ष : 2017 के बाद इतने दिनों तक सदन नहीं चला था क्या ?

श्री कुमार सर्वजीत : एक लाईन सिर्फ इसको मैं बता देता हूँ कि आज यह ।

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : खाली एक लाईन सुन लीजिये ।

<u>शून्यकाल</u>

अध्यक्ष : श्री महानंद सिंह । बोलिये । (व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : इसकी सूचना प्राप्त नहीं थी कि माननीय विधायिका...

अध्यक्ष : आज 72 शून्यकाल है और 10-12 मिनट का समय चला गया ।

श्री कुमार सर्वजीत : सिर्फ एक लाईन, जो आपने प्रश्न उठाया है, महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । संज्ञान में आ गया न । चलिये । (व्यवधान) संज्ञान में आ गया है, इन्होंने लिखित भी दिया है । करेन्ट मामले को हमलोग प्राथमिकता में लेते हैं ।

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ । श्री ऋषि कुमार । (व्यवधान)

टर्न-8/आजाद/18.03.2021

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन्होंने सेक्रेटरी के यहां आवेदन दिया है, इसको नियमानुकूल देखा जायेगा । अब आपलोग बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल में बिजली बिल में अनियमितता के कारण डेढ़ लाख तक गरीबों के घर बिजली बिल भेजा रहा है, भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल एवं बिजली काटने पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : हम आगे बढ़ जायेंगे तो फिर पढ़ने का मौका नहीं देंगे ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना के पीरबहोर थाना प्रभारी दवाई, प्रिंटींग, शराब, इलेक्ट्रोनिक, कोचिंग आदि के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं, दूसरी ओर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर फर्जी तरीके से 307 जैसी संगीन धारायें लगाकर उत्पीड़न करते हैं व मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी हैं ।

तत्काल बर्खास्तगी व कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, दाउदनगर बाजार समिति प्रागंण चहारदिवारी से दक्षिण दाउदनगर गया रोड में सरकारी चार्ट और उसमें वन विभाग द्वारा लगे सैंकड़ों पेड़ों को अवैध रूप से काटकर पक्का निर्माण हो चुका है ।

अत: मैं अवैध पक्का निर्माण को हटाने की मांग करता हूँ ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर प्रखंड के बिरबन्ना चौक से बाजार होते हुए गनौल मौजमा नवटोलिया जाने के लिए मुख्य सड़क है । रेलवे के पूर्वी केबीन के पास हमेशा जाम लगा रहता है ।

सरकार से पूर्वी केबीन के पास आर0ओ0बी0 और बीरबन्ना चौक से गनौल तक बाईपास बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री रामबलि सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अन्तर्गत काको प्रखंड में नदियांवा और मिश्रबिगहा गांव के बीच दरधा नदी पर बिना कोई सम्पर्क पथ का करोड़ों रू0 का पुल बनाया गया है । सरकार से मांग है कि सम्पर्क पथ निर्माण कराकर पुल को उपयोगी बनाया जाय ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, थाना, रजिस्ट्री ऑफिस, अनुमंडलीय अस्पताल, पी0डब्लू0डी0 कार्यालय आदि सरकारी भवनों के बीच स्थित बिक्रमगंज प्रखंड परिसर को सलेमपुर पोखरा पर बने नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने की चर्चा से व्यापक लोगों में भारी आक्रोश है । स्थानान्तरण पर रोक एवं ब्लॉक परिसर को यथावत रखने की मांग करता हूँ ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के घोसी बाजार चौराहा पर पिछले 5 साल से बाबा साहब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर के मूर्ति को ढ़क कर रखा गया है । जिसे सरकार से अविलम्ब जनता को समर्पित करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सोन नदी में कदवन डैम का डी0पी0आर0 तैयार कर बांध निर्माण शीघ्र शुरू करावें ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 13 शब्द है ।

श्री कृष्णनन्दन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मटियरिया पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या 16 मार्च को 11.00 बजे दिन में कर दी गई है । पुलिस और आक्रोशित जनता के बीच झड़प में निर्दोष परिजन एवं जनता को पुलिस हिरासत में ले लिया ।

सरकार से मैं मांग करता हूँ कि निर्दोष व्यक्ति को रिहा करावें ।

अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है और अभी भी 50-60 आदमी निर्दोष को बंद किया गया है, हिरासत में निर्दोष को बंद किया गया है । इसको संज्ञान में लिया जाय अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सरकार संज्ञान में लेगी ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड स्थित फतेहपुर पंचायत के बहरदार टोला से हरिजन टोला होते हुए गोखलापुर मेन रोड तक पक्कीकरण एवं उक्त सड़क में लचहा नदी पर पुल पुलिया निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी के दौरान कोरोना वारियर के रूप में अविस्मरणीय काम करने वाले प्रयोगशाला प्रावैधिकी एवं ए0एन0एम0 को मार्च, 2021 से हटाया जा रहा है । हटाये जा रहे उपरोक्त सेवाओं के कर्मियों को विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित करने हेतु सूचना दे रहा हूँ ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महादेय, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना स्थित पानी टंकी परिसर में कूड़ा डंपिग यार्ड बना देने से आम निवासियों को हो रही घोर असुविधा को देखते हुए उक्त टंकी परिसर में पार्क बनाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर शहर में त्रिवेणी कैनाल पर संकरा सड़क और बहुत पुराना पुलिया होने के वजह से जाम की समस्या बनी रहती है।

मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आमजनों को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास रोड बनाया जाय ।

श्रीमती संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा समेत राज्य के अधिकांश जिलों में ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 24 माह का बाकी है । उनको मानदेय भी 6000/- रू0 प्रति माह मिलता है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है । अविलम्ब बकाया मानदेय का भुगतान एवं मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग करता हूँ ।

श्री निरंजन राय : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के लदौर पंचायत में रजुआ पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा अकारण बंद कर दिया गया जिसे जनहित में अधूरे पुल के निर्माण कार्य को प्रारंभ कराकर शीघ्र पूर्ण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवगठित सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी भूमि को चिन्हित कर .....

अध्यक्ष : आपका जो शून्यकाल है, वही प्रोसीडिंग में जायेगा । शेष विषय नहीं जायेगा ।

श्री मिथिलेश कुमार : नवगठित सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी भूमि को चिन्हित कर शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराया जाय ताकि विकास कार्य में उक्त भूमि का जनहित में उपयोग किया जा सके ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ विधान सभा के परैया प्रखंड में अवस्थित आवारा पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु कन्हौज में विगत 10 वर्षों से असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि शीघ्र असमाजिक तत्वों से कन्हौज को मुक्त कराया जाय ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला में ज्यादातर जूट की खेती होती है परंतु जूट मिल नहीं रहने के कारण इसका उपयोग अन्य सामग्री बनाने में नहीं होने से यहां के कृषकों को औने-पौने दाम में जूट को बेचना पड़ता है ।

अतः किशनगंज जिला में अतिशीघ्र जूट मिल खोलवाने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा वर्ष 2018-19 में तैयार पैनल के आधा से अधिक कार्यपालक सहायकों का नियोजन बाकी है ।

मैं राज्य सरकार से तैयार पैनल के अवशेष कार्यपालक सहायकों को बेलट्रॉन के पैनल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देने तथा दोबारा परीक्षा आदि मापदंडों को पूरा करने के आदेश को निरस्त करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के तेतरिया प्रखंड में नरहा पानापुर शिवहर पथ में कदमा में बागमती नाला में 2013 में पुल निर्माण शुरू हुआ जो 2014 में विभागीय आदेश पर बंद कर दिया गया । उक्त संदर्भ में हाईकोर्ट, पटना द्वारा रिफरेंस केस नं0- 126/2016 में 26.7.2016 को दिये गये आदेश का अनुपालन करते हुए पुल निर्माण कार्य पूर्ण की मांग करता हूँ ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जायेगी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी शून्यकाल है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले सबलोग बैठ जाइए । ध्यानाकर्षण सूचना और कुछ कागजात सदन पटल पर रखे जायेंगे, उसके उपरांत भोजनावकाश होने तक पुनः शून्यकाल की सूचना पढ़ी जायेगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री आनन्द शंकर सिंह, अजीत शर्मा एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आनन्द शंकर सिंह जी का ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-963 दिनांक 30.01.2016 द्वारा प्रावधानित राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में गैर आरक्षित वर्ग के अधीन महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण 17.50 प्रतिशत है । जबकि आरक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 16.45 प्रतिशत है । यह आरक्षण पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए किये गये 3 प्रतिशत उर्ध्व आरक्षण के अतिरिक्त है । बिहार अधिनियम 02/2019 के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये जाने के कारण आरक्षित वर्ग की रिक्ति 60 प्रतिशत हो चुकी है

....क्रमशः ...

टर्न-9/शंभु/18.03.21

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : क्रमशः जिसके विरूद्ध मात्र राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही चयनित हो सकेंगे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शेष 40 प्रतिशत के रिक्त को गैर आरक्षित वर्ग की रिक्त कहा जाता है । इससे ओपेन मैरिट कैटेगरी के रिक्त भी कहा जाता है । इसलिए इसके अन्तर्गत किया गया क्षैतिज आरक्षण मेधा के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर के महिलाओं के लिए ओपेन रखा गया है । इसके अन्तर्गत मात्र महिलाओं का ही चयन हो सकता है जिसके विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर की महिलाएं मेधा के आधार पर चयनित हो सकती है । अतः मेधा के आधार पर चयन की इस प्रक्रिया में बिहार राज्य की गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के साथ भेदभाव का कथन औचित्यपूर्ण नहीं है । राज्य सरकार राज्य की महिलाओं के विकास के प्रति कृतसंकल्पित है एवं सरकार राज्य की महिलाओं के हित में सकारात्मक कार्रवाई करेगी ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, इसीलिए आपने जो अनारक्षित वर्ग में बिहार से बाहर के भी महिलाओं को आपने देने का काम किया । दूसरी बात जब हम छतीसगढ़ में यह मामला है- छतीसगढ़ की कॉपी उपलब्ध है । वहां यह विशेषकर बोला गया है कि छतीसगढ़ की जो महिलाएं होंगी उन्हीं को इसमें लेने का प्रावधान है तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती है ? बिहार सरकार क्यों इतनी उदारता दिखा रही है ? बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है वे बाहर जा रहे हैं और बिहार की सरकार बाहर के राज्यों की महिलाओं के प्रति उदारता दिखा रही है । मैं यह मांग करता हूं कि समिति गठित कीजिये और समिति गठित करवाकर आप जॉच करा लीजिए कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है । बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो समिति गठित करने का कब तक इनका समय सीमा निर्धारित करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार की सरकार स्पष्ट रूप से सरकार का जवाब हमने दिया है और सरकार चिंतित है महोदय राज्य की महिलाओं के प्रति और राज्य की महिलाओं का जितना सम्मान बिहार ने किया है महोदय और आगे भी करना चाहती है सरकार तो हमने कहा है कि जो ध्यानाकर्षण माननीय सदस्यों के द्वारा लाया गया है उसपर सरकार विचार कर रही है । इसमें नहीं करने की बात कहां उठा रहे हैं, विचार सरकार कर रही है और इसमें कुछ समय तो लगेगा ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : मैं समिति गठित करने की मांग कर रहा हूँ कब तक समिति गठित सरकार करेगी ? समिति के माध्यम से जॉच करवा लिया जाय ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार विचार कर रही है समिति का कोई औचित्य नहीं है, अगर सरकार नहीं करना चाहती तब समिति की आवश्यकता थी ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, यह बहुत अन्याय है महिलाओं के लिए – जो आपका आरक्षित है उसमें तो आप बिहार के लोगों को ले रहे हैं और जो सामान्य महिलाएं हैं । हमलोग या कोई पुरूष महिलाओं के बिना तो इस धरती पर नहीं आ सकते । उनके साथ आप पूरे देश की महिलाओं को रिक्त पद पर लेंगे यह बिहार की महिलाओं के साथ अन्याय है । इसलिए सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा । हम आसन से आग्रह करेंगे कि विधान सभा से एक समिति गठित करके इसकी जॉच कराइये ताकि हमलोग महिलाओं के साथ अन्याय सदन के कोई भी सदस्य सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, महिलाओं के आर्थिक हितों को दरकिनार करके उनका सम्मान नहीं हो सकता । आप 50 रू0 प्रतिदिन पर रसोइया को खटवाते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं । महोदय, इसपर माननीय मंत्री जवाब दें ।

अध्यक्ष : अब विषय दूसरा है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, दूसरा विषय नहीं है, आर्थिक संबलता के साथ महिला सम्मान का विषय जुड़ा हुआ है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, इसमें विधान सभा से समिति गठित कराइये । आप बाहर के लोगों को रोकिये और बिहार की महिलाओं को रोजगार दीजिए यह उनका हक है ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रश्न का इतना सटीक और इतना अच्छा जवाब सरकार के तरफ से दिया गया है और सरकार की मंशा पर माननीय सदस्य प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं । महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार ने जो कदम उठाया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं है । महोदय, मैंने कहा है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसपर सरकार विचार कर रही है । इसमें सरकार की मंशा बिलकुल स्पष्ट है तो इसके बारे में और माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार बाहर भी कर रही है और.....

(व्यवधान)

श्री आनन्द शंकर सिंह : इसकी समय सीमा निर्धारित करे सरकार ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समय सीमा ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, मालूम है सदन को और आसन को भी मालूम है कि जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है और हमने जब कहा है कि हम विचार कर रहे हैं तो सरकार की मंशा बिलकुल स्पष्ट है, प्रक्रिया में जो समय लगेगा, वह लगेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष के अंदर ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अपनी सूचना को पढें ।

सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भीम कुमार सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, राज्य में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिये 400 रूपये सहायता राशि दी जाती है परंतु यह अत्यल्प है । वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग अपने परिवार में परित्यक्त हो जाते हैं और आय का कोई स्रोत नहीं रहने के कारण दोयम दर्जे के नागरिक हो जाते हैं । दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2500 रूपये, हरियाणा में 3000 रूपये, गोवा में 3000 रूपये सहायता राशि दी जा रही है । इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तीनों श्रेणी के असहायों की सहायता करने में सरकारें उदार हैं । बिहार में मात्र 400 रूपये ही दिये जा रहे हैं ।

अतः सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग सहायता राशि को 400 रूपये से बढ़ाकर हरियाणा के अनुरूप 3000 रूपये किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में विभिन्न लाभुक वर्गों के लिए यथा वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं के लिए कार्यान्वित पेंशन योजनाओं के तहत सम्प्रति कुल 95 लाख 67 हजार लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है । जिसपर प्रतिवर्ष लगभग 4440 करोड़ रूपये का व्यय है । इसमें केन्द्र सरकार से मात्र 37 लाख 57 हजार लाभुकों के लिए मात्र 1248 करोड़ रूपये ही राशि प्राप्त होती है । शेष राशि 3192 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वहन करती है जो कुल व्यय का 72 प्रतिशत है । ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रूपया प्रतिमाह की दर से 7 लाख लाभुकों को 60 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्धजनों को कुल 200 रूपया प्रतिमाह की दर से 23 लाख लाभुकों को 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के विधवा को 300 रूपया प्रतिमाह की दर से 6 लाख, 10 हजार लाभुकों को एवं 80 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता के दिव्यांगजनों को 300 रूपया प्रतिमाह की दर से मात्र 1 लाख 26 हजार लाभुकों को पेंशन दी जा रही है जबकि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त सभी लाभुकों को राज्य योजना मद से 200 रूपया प्रतिमाह की दर से टॉपअप कर 1408 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष दिया जाता है ताकि सभी लाभुकों को 400 रूपये प्रतिमाह से अन्यून पेंशन राशि मिल सके । इसके

अतिरिक्त राज्य योजना से वैसे वृद्धजन जिन्हें भारत सरकार की वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत लाभुकों की सीमित संख्या के कारण से पेंशन राशि नहीं मिलती है या वैसी विधवा जो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु की होने के कारण या ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत होने के कारण भारत सरकार से पेंशन राशि देय नहीं है ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये माननीय सदस्य, माननीय मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइये ।

टर्न-10/ज्योति/18-03-2021

श्री मदन सहनी, मंत्री : भारत सरकार से पेंशन राशि देय नहीं है । राज्य योजना से संपूर्ण पेंशनराशि 4 सौ रुपया प्रति माह का भुगतान किया जाता है साथ ही ज्ञातव्य है कि राज्य के सभी वृद्धजनों को आच्छादित करने के लिए वर्ष 2019-20 से मुख्य मंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गयी है इसलिए बी.पी.एल. की बाध्यता नहीं है अर्थात ए.पी.एल. वर्ग के वृद्धजन भी इस योजना में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते उन्हें कोई सरकारी पारिवारिक या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा हो सम्प्रति इस योजना में 25 लाख से अधिक पेंशनधारी को पेंशन दिया जा रहा है एवं ऐसे लाभुकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लाभुकों को अपने सीमित संसाधनो के बावजूद राज्य योजना मद से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जिसमें कुल पेंशन राशि का 72 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा स्वयं राज्य योजना मद से वहन किया जा रहा है । इससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है एवं समग्र आच्छादन की परिकल्पना के तहत जाति धर्म या सम्प्रदाय का कोई भेदभाव किए बिना सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : इसमें वही पूरक पूछेंगे जिनका हस्ताक्षर है इसलिए जो ऊंगली दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे मत सम्मिलित होईये ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : इतना विस्तार से उन्होंने बताया और कहे कि बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं इसलिए अब माननीय राघवेन्द्र बाबू, कुछ पूछना है ?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने का अधिकार है ।

अध्यक्ष : आपको पूछने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : यह जो माननीय मंत्री जी का उत्तर हुआ ।..

अध्यक्ष : विस्तृत उत्तर हुआ ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर हुआ, यह हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाया गया ।

अध्यक्ष : मुहावरा इनलोगों को बड़ा पसंद है हमेशा बोलिए ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : उसके बाद भी बोलेंगे । मुझे शर्म होता है, दुख होता है, आज जो मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि यह पैसा है, वह पैसा है, इसमें कमी है उसमें यह है, उसके चलते हम 4 सौ रुपया दे रहे हैं, गोवा जैसे छोटे राज्य में, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में और यह मानवता का मामला है अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : हम पूछ रहे हैं जो वृद्ध हैं, विधवा हैं या जो हमारे दिव्यांग हैं ऐसे भी ये चार सौ रुपये में उनको कोई दरवाजे पर अपने बैठने भी नहीं देता है उनके भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती है । हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि अन्य राज्यों में जिस तरह से राशि बढ़ाकर दी जा रही है । सरकार कह रही है कि हमारे पास साधन की कमी है । महोदय, साधन की कमी कहॉ है ? रोज कम से कम 15 से 20 हजार ट्रक तो कोईलवर में बालू निकाल रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, अब इतना समय लीजियेगा तो फिर और लोगों का समय है वे बैठे हुए हैं ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : मैं सरकार से जाननाा चाहता हूॅ कि मानवता के आधार पर सरकार इस राशि को अन्य राज्यों के अनुरुप बढ़ाना चाहती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : सरकार जवाब दे दी है विस्तृत रुप से और वृहद रुप से और छोटे राज्य की तुलना बड़े राज्य से करियेगा तो बड़े राज्य के लिए वृहद राशि की जरुरत है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं होगा ।

अध्यक्ष : श्री अवध बिहारी चौधरी आप अपनी सूचना पढ़िये ।

<u>श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री आलोक कुमार मेहता से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा ज्य के सभी शवदाह गृह एवं मुक्तिधाम बनाने एवं उसे मुख्य मार्ग से जोड़ते हुए अन्य सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने

का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह हसुविधा सभी शवदाह गृह एवं मुक्तिधाम में नहीं होने से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सिवान शहर के कंधवारा वार्ड नं0- 4 में दाहा नदी के किनारे पूर्वी भाग में कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

अतः राज्य के सभी मुक्तिधाम एवं शवदाह गृह सहित सिवान के दाहा नदी मुक्तिधाम सह शवदाह गृह में सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए कंधवार घाट को मीठा मिल मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : अब क्या है आपका बताईये ?

श्री अवध बिहारी चौधरीः कबतक का समय चाहिए ? इसी सत्र में न ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : हॉं, चलते सत्र में आपको दे देंगे ।

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाईये, ठीक है, आप चाहते हैं कि शून्य काल सब का हो अच्छा, बोलिए बोलिए ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बनी तो हम ने सोचा सारे लोगों ने सोचा कि '' सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का'' लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो अब यह कहना पड़ रहा है कि ''का पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर।''

अध्यक्ष : चलिए, माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री श्रवण कुमार , मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम'' 2014 की धारा-15 के तहत '' बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018'' की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा-15 के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा-23 (3) के तहत '' बिहार परिवार न्यायालय नियमावली, 2011 '' की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2013 ; बिहार समहारणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2014 ; बिहार समहारणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 ; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)(प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)(प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रुल्स, 2017 (अधिसूचना सं0- 3066) दिनॉक 06. 03.19); बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र; बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रुल्स, 2017 (अधिसूचना सं0-7402 दिनॉक 16-06-17); बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013 एवं उक्त नियमावली का शुद्धि पत्र ; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012 ; बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमवली, 2011 एवं बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1955 से संशोधित अधिसूचना सं0-8390 दिनॉक 26.08.10 की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

टर्न-11/अभिनीत-पुलकित/18.03.2021

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: मैं ''राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग नियमावली, 2021'', ''राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेकनिक, प्रारूपक (ड्राफ्ट्समैन) संवर्ग नियमावली, 2021'' एवं ''राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2021'' की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

श्री हरिनारायण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित समिति का 210वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का पथ निर्माण विभाग से संबंधित 298वाँ प्रतिवेदन, ऊर्जा विभाग से संबंधित 300वाँ प्रतिवेदन तथा योजना एवं विकास विभाग से संबंधित 301वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी ।

श्री जीतन राम मांझीः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने अपनी योजना का आकार बढ़ाकर 2 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का रखा है, यह एक बहुत प्रशंसनीय बात है लेकिन जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है और आपको अवगत होना चाहिए कि 200/- रुपया प्रति माह लोगों को पेंशन मिलती थी, जिसकी चर्चा की गई और उसको 2015 में 400/- रुपये किया गया था। आज हर जगह मंहगाई बढ़ी है, हमारा बजट का आकार बढ़ा है तो वैसी परिस्थिति में हम आसन से सेफगार्ड चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि विकलांग हैं, विधवा हैं, बूढ़े हैं, उन सबका योगदान है बिहार की उन्नति में और बिहार के साथ में । वैसी परिस्थिति में अगर सब जगह बढ़ाया जा रहा है, योजना को आकार और राशि दी जा रही है तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है ? इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तीन हजार और ढाई हजार न करके कम से कम 1500/- रुपये तो प्रति माह इन लोगों के लिए कर दिया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है, अब शून्यकाल की सूचना । माननीय सदस्यगण, आप सभी की भावना को देखते हुए शून्यकाल लिये जा रहे हैं, भोजनावकाश तक । माननीय सदस्य श्री इसराईल मंसूरी ।

शून्यकाल

श्री इसराईल मंसूरीः अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समुदाय के पिछले पायदान पर आने वाले धुनिया, रंगरेज एवं दर्जी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने हेतु वर्ष 2010 में गठित बन्द पड़े को-ऑपरेटिव फेडरेशन को जनहित एवं जन सरोकार में शीघ्र संचालित कराने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलांतर्गत धोरैया प्रखंड में श्री पाथर गांव से रणयोद्धा गांव, बबुरा शाखा नहर होते हुए पी0डब्लू0डी0 रोड तक लगभग 15 कि0मी0 सिंग्ल एवं

जर्जर सड़क का चौड़ीकरण करते हुए पी0सी0सी0 कार्य जनहित में शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल: महोदय, बिहार सरकार द्वारा 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का फैसला इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी कर्मचारियों के लिए मृत्यु दंड के समान है ।

मैं सरकार से उक्त आदेश को वापस लेने की मांग सदन के सामने रखता हूं।

श्री महबूब आलम: महोदय, बारसोई अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है, धन्यवाद आठ शब्दों में आज निपट लिए हैं । बहुत अच्छा ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

स्वागत करिये और सीखिए ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद: महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के 1982 से स्थापित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर सहोड़ा इस प्रखंड में बालिका शिक्षा के लिए एक मात्र सरकारी विद्यालय है । इस विद्यालय तक जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त विद्यालय को रास्ता उपलब्ध करावें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी: महोदय, किशनगंज प्रखंड अंतर्गत गाछपाड़ा पंचायत के गाछपाड़ा से बाघमोहर जाने वाली सड़क में रमजान नदी पर पुल नहीं है । जिस कारण ग्रामीणों को यात्रा करने में काफी दुश्वारी होती है । वर्षा के दिनों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है।

मैं सरकार से उक्त स्थान पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी: महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड के चिकाबाड़ी मुख्य सड़क से पीपलटोला चुनिमारी को जोड़ने के लिए केवल पुल नहीं होने से 5 मिनट का सफर घंटों में तय करना पड़ता है ।

अत: मैं सरकार से यथाशीघ्र पुल निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, उजियारपुर विधान सभा क्षेत्र के दलसिंहसराय एवं उजियारपुर प्रखंडों में पशु पालकों की बड़ी आबादी और बीमार पशुओं के इलाज में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों प्रखंडों के पशु चिकित्सालयों में पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाय ।

श्री पंकज कुमार मिश्र: महोदय, वाटर हार्वेस्टिंग एण्ड सीवरेज का पाईप लाईन यू 469 पटना शहर के लोहानीनगर से होकर गुजरता है । भू-माफिया ने नर्सरी के नाम पर एलॉट करवाया और इसे

बेच दिया । नगर निगम के संज्ञान के बिना सीवरेज पाईप लाईन का खुदाई शुरू करवाया । इस तरह की गड़बड़ी करने वाले भू-माफियाओं की जांच कराई जाय ।

श्री प्रणव कुमारः महोदय, खगड़िया-मुंगेर गंगा पुल पहुंच पथ के लिए सरकार द्वारा किसानों का अधिग्रहित किये गये जमीन का मुआवजा संबंधित मौजा के सर्किल रेट के अनुसार भुगतान करने की मांग करता हूं ।

श्री चेतन आनंदः महोदय, शिवहर जिला अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय को स्वीकृत के साथ 53 पद सृजन की स्वीकृति वर्ष 2017 में मिली किन्तु अब तक सिर्फ प्रधानाध्यापक की बहाली हुई है । मैं सदन के माध्यम से इस ओर शीघ्र समुचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठः महोदय, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विश्वकर्मा (बढ़ई) समाज के जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है।

अतः विश्वकर्मा (बढ़ई) समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय ।

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, गजट संख्या- 943 दिनांक- 16.12.2020 द्वारा राज्य में 14 एवं उससे अधिक चक्कावाले वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया । 3 लाख ट्रकों का परिचालन बंद है । 15 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं । तकनीकी रूप से बनाये गये इन ट्रकों से सड़कें नहीं टूटतीं ।

उपर्युक्त गजट को वापस लिया जाय ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राम जानकी पथ का काम एन0एच0ए0आई0 कर रहा है । इसका गलत ढंग से एलायनमेंट रिहायशी इलाके से कर दिया गया है । जिससे लाला छपरा चौक के निकट 50 घर टूट रहे हैं ।

अतः एलायमेंट को ठीक कराने की मांग करती हूं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, बक्सर के पी0पी0 रोड स्थित ताड़का नाला पुल के चौड़ीकरण की मांग मैं सदन के माध्यम से करता हूँ ।

अध्यक्षः ठीक है धन्यवाद, 16 शब्दों में ।

माननीय सदस्य, श्री आनन्द शंकर सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुधाकर सिंह । यह आपकी व्यक्तिगत सूचना है इसलिए पढ़ी नहीं जायेगी, बैठ जाइये ।

श्रीमती नीतु कुमारी ।

टर्न–12/हेमन्त–धिरेन्द्र/18.03.2021

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत नगर पंचायत हिसुआ में संवेदक द्वारा वार्ड सं0–02, 04, 07, 11, 13, 14 एवं 15 में जो नल–जल योजना एवं नाला निर्माण का कार्य कराया गया है, में घोर अनियमितता बरती गई है एवं कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है ।

अतः उक्त विभाग के पदाधिकारी एवं संवेदक के द्वारा किये गये कार्यों के विरुद्ध निगरानी विभाग से गहन जांच करवाई जाय ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्डान्तर्गत बाराहाट– नंदलालपुर सड़क के बीच महेशपुर और बाराहाट–पीरपैंती (NH-133) सड़क के बीच हरदेवचक को बाजार से बाहर–बाहर जोड़ते हुए बाईपास सड़क के शीघ्र निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अरेराज प्रखंड में एकमात्र गर्ल्स हाईस्कूल और मलाही हाई स्कूल में वर्षों से भवन बन रहा है, जो अभी तक अधूरा है । इसे पूरा कर अविलंब इंटर की पढ़ाई चालू कराने की मैं सदन से मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य स्तर पर सभी कब्रिस्तान एवं श्मशान की घेराबंदी समाज में आपसी सौहार्द कायम रहे इस दृष्टिकोण से अतिआवश्यक है । घेराबंदी कार्य कराया भी जा रहा है । परन्तु काफी धीमीगति से, मैं जनहित में महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना से भी कब्रिस्तान घेराबंदी कराने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के राजस्व हाट परवाहा, खवासपुर, कुसमाहा, अम्हारा, बथनाहा एवं समौल में दशकों से व्यापार कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे फुटकर व्यवसायियों को हाटों में स्थायी पक्के मकान नहीं रहने से अपना व्यापार बढ़ाने में अक्षम हैं । इन सभी हाटों में सटरनुमा मार्केट बनाने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति से संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गयी परीक्षा में 3523 सफल विद्यार्थियों की छात्रहित में नियुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, प्राचीन पवित्र सौरा नदी पूर्णिया शहर को दो भागों में जलधारा से विभक्त करती है । जीवनदायिनी धार को संरक्षित करने हेतु नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल करने की आवश्यकता है ।

अतः मैं सरकार से सौरा नदी को नमामि गंगे अंतर्गत रीवर फ्रंट योजना में शामिल कर विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर के विभूतिपुर स्थित सिंघियाघाट पुल से सलखन्नी, सोनवारचक, महथी, मोहनपुर, बोरिया, नरहनस्टेट तक के लाखों की आबादी को जोड़ने वाली बूढ़ी गंडक बांध पर पक्की सड़क के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प0 चम्पारण जिला के बैरिया प्रखंड के तधवानन्दपुर वार्ड नं0–03 में नल जल घोटाले की डीएम के यहां शिकायत करने वालों पर ही बैरिया थाना कांड सं0– 306/20, 429/20, 430/20 दर्ज हुआ है । मुकदमों की वापसी और घोटाले की जांच हो ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत परसथुआँ थाना के ग्राम–कथराई के निकट दिनांक–15.03.2021 को बेखौफ अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी श्री रामाशंकर सेठ को दिनदहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर आभूषण लेकर फरार हो गये ।

अतः उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी तथा गरीब व्यवयायी के समुचित इलाज की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रशासनिक सुधार सोसाइटी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त के विरुद्ध सिवान जिला सहित बिहार के सभी जिलों में कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है ।

अतः कार्यपालक सहायकों के निर्मित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मूलस्वरूप में अक्षरशः लागू किया जाय ।

कोई सुनने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : सामने बैठे हुए हैं । बोलिए, समय खत्म हो रहा है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन से तुरहा जाति जूझ रहे हैं ।

अतः तुरहा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत दुर्गावती जलाशय परियोजना स्थल पर शिलान्यासकर्ता आजीवन सांसद व पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग करता हूँ ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय के वीरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत भवानंदपुर गांव की तेरह वर्षीय मीनाक्षी कुमारी की लाश गंडक नदी से दिनांक 17 फरवरी, 2021 को बरामद हुई । एस.आई.टी. गठित होने के बावजूद अब तक जांच पूर्ण नहीं हो पाई है ।

अतः सरकार से उक्त घटना की यथाशीघ्र जांच करने की मांग करता हूँ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड प्रखण्ड में अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल में 25 डॉक्टर का पद स्वीकृत पद हैं, लेकिन वहां मात्र चार डॉक्टर प्रतिनियुक्त हैं और कार्य करते हैं ।

अतएव जनहित में शीघ्र डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कराने की मांग करता हूँ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के सिल्क उद्योग, सुलतानगंज का श्रावणी मेला, जैन मंदिर, कुप्पाघाट, विक्रमशिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय आदि को ध्यान में रखते हुए कहलगांव विधानसभा के मोहनपुर पंचायत में 1000 एकड़ गौशाला की जमीन एवं इसके आसपास के भू-भाग को अधिग्रहित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत नवीनगर विधान सभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है । नवीनगर बाजार के व्यापारियों तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए, मैं सरकार से नवीनगर बाजार में एक पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग करता हूँ ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के सभी प्रखंड़ों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्राहक सेवा केन्द्रों का संचालन गैर बैंक कर्मी द्वारा कराया जाता है । जमा-निकासी में गरीब खाताधारियों के साथ धोखाधड़ी किया जाता है । इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, एम0एस0पी0 को कानूनी दर्जा की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा छः शब्दों में ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत बंजरिया प्रखण्ड के फुलवार उतरी पंचायत के ग्राम गमहरिया में तिलवे नदी के सोजि घाट पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण करावें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, संविदा पर कार्यरत एवं अकार्यरत कार्यपालक सहायकों के चिर परिचित लंबित मांगों की पूर्ति नहीं कर बेल्ट्रान के माध्यम से कमीशन खाने का प्रयास करने संबंधी आदेश को रद्द करने तथा अनियोजित कार्यपालक सहायकों की रिक्त पद पर नियोजन करने की मांग करता हूँ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड, लालगंज पंचायत बाढ़ पोखर समीप अवस्थित अतिपिछड़ा आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का भवन बना हुआ है,

अभी तक प्रस्तावित विद्यालय शुरू नहीं किया गया है । विद्यालय भवन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है । सरकार से जल्द प्रस्तावित विद्यालय शुरू कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, वर्णवाल जाति बिहार में ओ0बी0सी0 अनुसूची-2 के अंतर्गत बनिया वर्ग में आता है । बिहार के लिए आरक्षण की केन्द्रीय सूची में वर्णवाल जाति को ओ0बी0सी0 में नहीं रखा गया है । इसे ई0डब्लू0एस0 का भी लाभ नहीं मिलता है । मैं केन्द्र में वर्णवाल जाति को आरक्षण की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : शेष बची हुई शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ।

(**पढ़े हुए मान लिए गये शून्यकाल की सूचनाएं**)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, गंडक स्थित त्रिभुवान घाट पुल पर संपर्क पथ पक्का नहीं होने से आवागमन बाधित है । यह कार्य शीघ्र करवाया जाय ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखण्ड के बाथो गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन है । अविलम्ब निर्माण कराया जाय।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के नाथनगर विधान सभा क्षेत्र के चानन नदी में बालू का अत्यधिक उठाव होने के कारण नदी का बेड नीचे और खेत का बेड ऊपर हो गया है, जिससे सिंचाई बाधित है ।

अतः बालू उठाव पर रोक लगाते हुए सिंचाई की व्यवस्था की जाय ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण के लौरिया प्रखंड के देऊरा पंचायत के गांव सीतापुर एवं पंचायत गनौली डुमरा के गांव डुमरा के पास सिकरहना नदी पर पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत सिधवलिया प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत वरौली झण्वा पथ से बलिछापर तक नव निर्माणाधीन सड़क में हो रही धांधली, अनियमितताएं तथा संवेदक एवं पदाधिकारी की संलिप्तता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री महंत सतानंद गिरी महाविद्यालय शेरघाटी अनुमण्डल में एक मात्र सरकारी महाविद्यालय है । जिसमें स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होती है । जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है ।

अतः श्री महंत सतानंद गिरी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की शीघ्र व्यवस्था की जाय ।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र में 25 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर किसानों को कृषि हेतु सरकार से उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के महनार अनुमंडल से भाया–हाजीपुर–पटना तक के लिए जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार बिहार राज्य पथ परिवहन (BSRTC) की बस सेवा शुरू करवायें ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के मेहसौल पश्चिमी के वार्ड नं0–01 में थाना नं0–316, खेसरा नं0–582 में अवस्थित श्मसान की मिट्टीकरण एवं घेराबंदी कार्य जनहित में सरकार मानसुन से पूर्व अतिशीघ्र करावें ।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/सुरज-संगीता/18.03.2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरूल ईमान : जी । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

'' कि बिहार लोकायुक्त (संशोधन)विधेयक,2021 के सिद्धांत पर विमर्श हो।''

अध्यक्ष महोदय, ''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021'' के उद्देश्य में जो बातें कही गयी हैं, वह यह कही गयी है कि चूंकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-7 में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा-25 में लोकायुक्त द्वारा किसी लोकसेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है और चूंकि यह प्रकाश में आया है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष परिवाद कर्ताओं द्वारा असत्य मामले भी दर्ज किये जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है और चूंकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष असत्य परिवाद दायर करने वाले शिकायतकर्ताओं को इस संस्था द्वारा उनके कृत्य के लिए सजा दी जा सके और चूंकि अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं और चूंकि बिहार लोकायुक्त संस्था के निर्बाध संचालन के लिए इस संस्था की असत्य शिकायत की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति दिया जाना समीचीन है इसके लिए ''बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011)'' समय-समय पर यथा संशोधित को संशोधित करना इसके उद्देश्य हैं, जिसे अधिनियम करना ही इस विधेयक का मूल अभिष्ट है ।

महोदय, हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर सरकार को इस बिल को लाकर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ? लोकायुक्त का गठन ही इसलिए हुआ कि लोकसेवकों की खामियों को, उनकी कमजोरियों को, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जा सके और आप इसमें ला रहे हैं कि जिन लोगों का मामला अगर किसी वजह से असत्य पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी । महोदय, कहा यह गया है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए निंदा करने वालों को करीब लाया जाय और उस पर कबीर जी ने कहा है कि

''निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी छवाए,
बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ।''

मामला यह है कि बिन साबुन और पानी के जो हमें सफाई दे सकता है ऐसे व्हिसलब्लोअर को जो कि खतरे की घंटी बजाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसे जेल में भरना चाहते हैं । आपने सुशासन का नारा दिया है तो सुशासन के

लिए जरूरी है कि हम अपनी खामियों को जानें । इस मामले को मानने में सभी स्वीकार करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार आमलोगों में नहीं लोकसेवकों के अंदर बढ़ा है । जिनकी तनख्वाह 50 हजार है उनकी आमदनी लाखों में है, 5-5 लाख, 10-10 लाख है । एक-एक कर्मचारी की आमदनी आप देखेंगे आज के दिन सिर्फ में मैं आपको यह कहता हूं कि सी0ओ0 से ज्यादा कमाई आज के दिन में कर्मचारी की है, जो मोटेशन कर रहा है तो मामला ये है कि अगर कोई आदमी, एक तो आम आदमी जिसका शोषण...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, दुख की बात है कि आम आदमी शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है । कुछ लोगों के हृदय में ये शक्ति है कि लोकसेवकों के खिलाफ आवाज उठायी जाय तो अब आप यह कानून ला रहे हैं कि अगर किसी वजह से उनका परिवाद गलत साबित हुआ तो आप उनको जेल भेजना चाहते हैं । हमारा परिवाद गलत हो सकता है, आपने कोरोना काल में जो सेंटर बनाये वहां पर कितनों को खाना खिलाया गया, कितनों को कपड़े दिये गये, कितनों को किट्स दिये गये, हमें सूचना मिली कि 5 हजार को दिया गया। हम मांग रहे हैं सी0ओ0 के यहां से रिपोर्ट वह हमें दे नहीं रहा है और हमने परिवाद दाखिल कर दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें अगर 5 हजार की जगह 3 हजार साबित हुआ तो हमें जेल भेजेंगे आप । किसी ने एफिडेविट कर दिया और उसके एफिडेविट में अगर गलती हो गई तो जेल भेजेंगे आप तो आखिर आप जो चाहते हैं कि अच्छी सरकार चलायें तो किस तरह से अच्छी सरकार चला सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार आम सरकार नहीं है, सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास की सरकार है और जो लोग आ रहे हैं इसकी शिकायत करने के लिए वह जनहित में है, तो जनहित में काम करने वालों को जेल भेजने की नहीं बल्कि इसको कहीं से भी, गलतियां हो सकती हैं लेकिन इसका मतलब है कि उसको जेल भेजा जायेगा । ऐसा मामला है कि हमारी आजादी पर शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर कहीं न कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है इसलिए मैं समझता हूं कि ये चीजें इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष : चलिए, माननीय सदस्य असत्य बोलने वाले को साथ में रखना चाहिए ?

श्री अखतरूल ईमान : नहीं महोदय, असत्य बोलने वालों को नहीं आलोचकों को साथ में रखना चाहिए।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : जी । मैं प्रस्ताव करता हूं

''कि बिहार लोकायुक्त (संशोधन)विधेयक,2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

अध्यक्ष महोदय, बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 अध्याय-7 में लोकायुक्त महोदय द्वारा जांच करने का प्रावधान निहित है जो किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति की सूचना के आधार पर की जाती है । महोदय, लोकायुक्त महोदय के कार्यालय द्वारा जांच के क्रम में कुछ मामले जरूर परिलक्षित हुए होंगे कि परिवाद असत्य हैं लेकिन अधिकतर मामले सही रहे होंगे महोदय । वर्तमान समय में लोकायुक्त महोदय के यहां जितनी भी कार्रवाई संचालित हो रही है वे सभी मामले किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से प्राप्त परिवाद से मामले नहीं के बराबर हैं । ऐसी परिस्थिति में लोक सेवक या अन्य व्यक्ति को यदि मन में डर, भय या आशंका हो जाये कि मेरे द्वारा लगाये गए आरोप जो कि सही है लेकिन लोकायुक्त न्यायालय में आंकड़ों की बाजीगरी एवं साक्ष्यों की रूपान्तरित व्याख्या करने से परिवाद असत्य साबित हो जायेगा तो इस प्रभावित विधेयक ''बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 22, 2011)'' समय-समय पर यथा संशोधित को संशोधित होने से लोक सेवक या अन्य व्यक्ति सभी परिवाद करने से डर सकते हैं । महोदय, इसलिए इस विधेयक को जनमत संग्रह जानने के प्रस्ताव का संशोधन दिया हूं । महोदय, यह विधेयक पारित होने से समाज में जो सत्य उजागर करने वाले लोग हैं, डर जायेंगे । इससे अपराध एवं षड्यंत्रपूर्वक वित्तीय अनियमितता करने वाले संगठित अपराधी घोटालेबाजों का मनोबल बढ़ेगा । महोदय, इसलिए इस प्रस्तुत विधेयक ''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021'' को और अधिक व्यापक, न्यायप्रिय एवं जनहित बनाने के लिए इसे जनमत संग्रह में भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/मुकुल-राहुल/18.03.2021

अध्यक्षः अब मैं खण्डशः लेता हूं । खण्ड-2 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्माः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जायः-

इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जो जान-बूझकर या दुर्भाव से इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या परिवाद करता है दोषसिद्ध होने पर जुर्माने का दायी होगा ।''

महोदय, लोकायुक्त की स्थापना इसलिए की गई थी कि लोग सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठा सकें परंतु इस कानून में संशोधन होने से एक भय का वातावरण बनेगा और लोग लोकायुक्त में जाने से इसलिए डरेंगे कि पता नहीं सिस्टम में बैठे लोग किस प्रकार साजिश कर उन्हें मिथ्या साबित करने और उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी । इसलिए मात्र जुर्माना लिया जाय, जेल भेजा जाना कतई उचित नहीं है । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष: महोदय, प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय:-

इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जो जान-बूझकर या दुर्भाव से इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या परिवाद करता है दोषसिद्ध होने पर जुर्माने का दायी होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) की तीसरी एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''उस अवधि के लिए, जिसका विस्तार तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा, कारावास से दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा'' को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय:-

''एक सप्ताह का कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड देने का दायी होगा।''

महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि तीन वर्ष तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान होने से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जो विसल ब्लोअर हैं उनका मनोबल गिरेगा, इसलिए मेरा संशोधन को सरकार मान ले ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) की तीसरी एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''उस अवधि के लिए, जिसका विस्तार तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा, कारावास से दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा'' को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय:-

''एक सप्ताह का कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड देने का दायी होगा।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''सत्र'' के पहले निम्न शब्द समूह जोड़ा जायः-

''जिस जिले का मामला है उस जिले के''

महोदय, सत्र न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है लेकिन यदि परिवादी पूर्णिया और बेतिया जैसी जगह से है तो कौन से न्यायालय में जाना होगा, इसको वर्णित करने की जरूरत है । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि जिस जिले का मामला है उस जिले के सत्र न्यायालय में इसे सरकार को मानना चाहिए, मामूली संशोधन है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की प्रथम पंक्ति के शब्द ''सत्र'' के पहले निम्न शब्द समूह जोड़ा जायः-

''जिस जिले का मामला है उस जिले के''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः जी करेंगे, सर ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है कि हम लोग एक संशोधन जो लाये हैं...

अध्यक्षः आप प्रस्ताव करें ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (10) के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जायः-

''(11) मिथ्या परिवाद के मामले की सुनवाई एवं निर्णय 15 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया कि कोर्ट केसेज की सुनवाई का एक अनंत सिलसिला है, उस सिलसिले को समाप्त करने का एक ही तरीका है समय-सीमा ।

इसलिए ऐसा नहीं हो कि मिथ्या परिवाद का मामला किसी व्यक्ति पर चलना शुरू हो और उसके बेटे, पोते तक पहुंच जाय । इसलिए समय-सीमा निश्चित की जाय, 15 दिनों के अंदर सरकार इसे मान ले । मैं यही अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (10) के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''(11) मिथ्या परिवाद के मामले की सुनवाई एवं निर्णय 15 दिनों के अंदर कर लिया जायेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, लोकायुक्त के यहां कुछ लोग दुरुपयोग करने के लिए गलत परिवाद भी दायर करने के आदी हो गए थे और लोकायुक्त ने स्वयं यह इच्छा प्रकट की अन्य राज्यों में जो दंड का प्रावधान है, बिहार लोकायुक्त अधिनियम में भी इसका प्रोविजन किया जाय, यह लोकायुक्त की भी इच्छा थी, उनकी भी राय थी, इसी आधार पर इस कानून को लाया गया है कि दुरुपयोग नहीं हो, सदुपयोग मुस्तैदी से हो इसमें कहीं कोई दोराय नहीं इसलिए इसमें भ्रम की स्थिति नहीं है कि सरकार कोइ आतंक पैदा कर रही है अन्य राज्यों में जब है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा ? महोदय, बिहार में भी होगा । इसीलिए इसको लाया गया है, अब कई जगह शोषण, दोहन का भी, लोगों को तबाह करने का भी धंधा हो रहा था । महोदय, इसीलिए इस अधिनियम में संशोधन लाने का, चूंकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 के अध्याय 7 में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्वेषण से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है इसकी धारा 25 में लोकायुक्त द्वारा किसी लोकसेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधित प्रावधान अंकित है, चूंकि यह प्रकाश में आया कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष परिवादकर्त्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है, समय महत्वपूर्ण है। महोदय, लोकायुक्त के द्वारा समय की बर्बादी, तबाही क्योंकि झूठे आरोप और चूंकि अन्य राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं ।

क्रमशः

टर्न-15/यानपति-अंजली/18.03.2021

...क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शिकायत की स्थिति में झूठी शिकायत की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की शक्ति दिया जाना समीचीन है । इसलिए अब भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो, इसका विस्तार पूर्ण राज्य में होगा यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा । बिहार अधिनियम 22, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित की धारा-25 के बाद एक नई धारा-25 का

जोड़ा जाना है उस अधिनियम 2011 की धारा–25 के बाद एक नई धारा–25 को निम्न जोड़ा जायेगा । मिथ्या परिवाद के मामले में कार्रवाई । इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति, को जानबूझकर या दुर्भाव से इस नियम के अधीन कोई परिवाद करता है दंड सिद्ध होने पर उस अवधि के लिए जिसका विस्तार तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा, कारावास से दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा । सत्र न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के अध्यक्ष द्वारा अनुसंधान किये गये किसी परिवाद के मामले में अथवा किसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के सदस्य द्वारा अनुसंधान किये गये किसी परिवाद के मामले में उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा । कोई भी ऐसा न्यायालय यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य के निर्देश पर लोक अभियोजक द्वारा लिखित रूप से दिये गये परिवाद के सिवाय उपर्युक्त अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और सत्र न्यायालय ऐसे परिवाद पर उसको मामला सुपुर्द किए बिना भी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संज्ञान ले सकेगा । ऐसा न्यायालय मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि पर जुर्माने की राशि में से प्रतिकर की वह राशि, जिसे वह उपयुक्त समझे, परिवादी पर अधिनिर्णीत कर सकेगा । लोकायुक्त अथवा अध्यक्ष लोकायुक्त के किसी सदस्य के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर यदि उन्हें प्रतीत हो कि ऐसी कार्रवाई में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई, जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में कोई शपथ पत्र दाखिल किया है, जानते हुए अथवा जानबूझ कर मिथ्या साक्ष्य दिया है अथवा इस आशय से मिथ्या साक्ष्य की कूटरचना की है कि ऐसे साक्ष्य का उपयोग ऐसी कार्रवाई में की जायेगी, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य को, यदि यह समाधान हो जाय कि न्याय हित में यह आवश्यक एवं समीचीन है । यह निर्धारित किया गया है ऐसा नहीं है कि किसी पर कोई कार्रवाई हो जायेगी लोकायुक्त को भी निर्धारित करना है और उसके मेम्बर को भी करना है कहां इसमें गलत तथ्य दिया गया है इसलिए दुरुपयोग की कहीं गुंजाइश नहीं है । तो अपराधी को कारण दर्शाने का युक्ति अवसर देने के बाद ही क्यों नहीं ऐसे अपराध के लिए उसे दंडित किया जाय, उनको भी शो कॉज दिया जायेगा । दंड प्रक्रिया 173 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विहित प्रक्रियानुसार जहां तक हो सके, उसे अपराधी का संक्षिप्तत: विचारण करेगा और इस अवधि के लिए कारावास से, जिसका विस्तार छह माह तक किया जा सकेगा अथवा जुर्माने से जिसका विस्तार पांच हजार रुपये तक किया जा सकेगा अथवा दोनों से दंडादिष्ट कर

सकेगा, यही मुख्य उद्देश्य है इस संशोधन का इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सदन से कि इसको पारित करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

'' बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2021 स्वीकृत हो''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

'' बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 पर विचार हो।''

अध्यक्ष: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अधिनियम- 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अत: सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमानः जी करेंगे । महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, इस अधिनियम के ताल्लुक से जो उद्देश्य का इजहार किया गया है वह यह है कि राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिये राजस्व वृद्धि के लिये उपाय चिन्हित किये गये हैं । राजस्व संग्रहण में अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिये बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को विदायित करने की आवश्यकता है, यह इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे प्रचारित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है । महोदय, राज्य को चलाने के लिये कर संग्रह की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन वक्त-वक्त पर जो हालात बदले हैं उसके ताल्लुक से भी जीएसटी का नया नियम आया है और बहुत सारे कर समाप्त किये गये हैं । ऐसी स्थिति में कुछ विवाद अगर पिछले दिनों के रह गये हैं तो उन विवादों के निपटारे के लिए सरल तरीके होने चाहिये लेकिन सरल तरीके की जगह पर व्यापक कठिनाइयां उत्पन्न की जा रही हैं । वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है कि हम टैक्स वसूलने के लिये नहीं बल्कि जनहित के लिये कानून बनाते हैं और इधर कोरोना ने, जी0एस0टी0 ने और नोटबंदी ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है और ऐसे वक्त में पिछले विवादों के निपटारे के लिये उनको कुछ स्पेशल रिबेट दिया जाना चाहिए कि किसी के कर बाकी रह गये हैं उसका भुगतान करना चाह रहा हो तो उनको कुछ स्पेशल रिबेट दिया जाय लेकिन रिबेट की जगह पर आप देखेंगे कि उनको जुर्माना किया जा रहा है । महोदय, यह बात बड़े दुख की है, यह कहा गया है कि जहां विवाद के समाधान के इच्छुक किसी पक्षकार ने विवादित राशि के मद में समाधान राशि के समतुल्य या अधिक राशि का भुगतान पहले ही कर दिया हो तो उक्त राशि समाधान राशि के मद में भुगतान मानी जायेगी किंतु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जायेगी । क्या यह कारोबारियों पर जुल्म नहीं है ? कारोबारियों ने नौकरशाहों के डर से और अपने कारोबार को सही तौर पर चलाने के लिये, अभी महोदय है क्या, कारोबारी लोग बकाये में सामान बेच रहे हैं और जी0एस0टी0 नगद अदा कर रहे हैं, बहुत से कारोबारियों का यह दिवालियापन है कि बकाये पर सामान बेचकर वह जी0एस0टी0 अदा कर रहे हैं उसके पास पूंजी नहीं है ऐसे वक्त में उनकी मदद की जानी चाहिए, उनपर जुर्माना नहीं किया जाना चाहिए अगर उसकी अधिक राशि आपके पास जमा है तो न्याय यही है कि सूद समेत उस कारोबारी को पैसे वापस किये जायं बल्कि धमकाया

जा रहा है कि पैसे वापस नहीं किये जायेंगे । मैं समझता हूं कि कारोबारियों के हित में ये चीजें अच्छी नहीं हैं, इसपर विचार होना चाहिये ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किः

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 दिनांक-31 मार्च, 2021 तक, जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि यह मूल विधेयक है इसके कानून बनने के पूर्व यदि यह जनता के बीच प्रकाशित हो और उसपर जनता की राय मांगी जाय तो काफी अच्छे सुझाव आ सकते हैं हमलोगों के पास सीमित समय है और हमलोग सीमित माननीय सदस्य यहां हैं । इसपर व्यापक राय की आवश्यकता है इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि सरकार से आग्रह है कि इस संशोधन को मान ले ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है किः

''बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक 2021, दिनांक-31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-16/सत्येन्द्र/18-03-21

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य, ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे।''

महोदय, प्रस्तुत बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 राज्य के संसाधनों में वृद्धि हेतु आवश्यक है । सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु कुछ उपाय चिन्ह्ति किया गया है, उसमें से एक उपाय इस विधेयक में निहित है लेकिन महोदय राज्य की जनता पर पहले

से ही राज्य एवं भारत सरकार के अनेक प्रकार का कर्ज धारित है । वर्त्तमान समय में कोविड का संक्रमण काल चल रहा है महोदय, ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने हेतु सदन में आपके माध्यम से संशोधन दिया हूँ महोदय, राज्य की गिरती कानून व्यवस्था एवं बेरोजगारी की चरम सीमा पार करने के कारण इसे आनन फानन में लागू नहीं कर प्रवर समिति में भेजा जाय महोदय, मेरा यही अनुरोध है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड-2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष: खंड-3 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ: जी सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-3 की तालिका के क्रम संख्या-1 के तीसरे कॉलम की चौथी पंक्ति में उल्लिखित अंक ''100 %'' के स्थान पर "50%" प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए दिया है कि पक्षकार पर और अधिक भार न पड़े इसलिए सरकार को इसे मान लेना चाहिए, वेलफेयर स्टेट है उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा मेरा आग्रह है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-3 की तालिका के क्रम संख्या-1 के तीसरे कॉलम की चौथी पंक्ति में उल्लिखित अंक ''100%'' के स्थान पर "50%" प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः नहीं करेंगे ।

अध्यक्षः श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह से विधेयक के खंड-3 में एक ही तरह का संशोधन दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्माः महोदय, हमारे दल के श्री अजय कुमार सिंह जी ने भी वही संशोधन प्रस्तुत किया है जो मैं किया हूॅ इसलिए मैं मूव नहीं करूंगा, अजय जी मूव करेंगे यदि आपकी अनुमति होगी तो ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री अजय कुमार सिंहः महोदय, इसमें जो चर्चा की गयी है कि अधिक राशि जमा करने पर वापस नहीं की जायेगी ।

अध्यक्षः पहले प्रस्ताव दे दीजिये ।

श्री अजय कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' विधेयक के खंड-3 के उपखंड(3) की तीसरी एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह '' किन्तु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जायेगी।'' को विलोपित किया जाय।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-3 के उपखंड(3) की तीसरी एवं चौथी पंक्ति के शब्द समूह '' किन्तु समाधान राशि से अधिक जमा राशि वापस नहीं की जायेगी।'' को विलोपित किया जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

'' खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्षः खंड-4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठः जी । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' विधेयक के खंड-4 के अंत में शब्द समूह ''और वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय'' जोड़ा जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है कि इस टेक्नॉलोजी के दौर में सारी चीजें अगर वेबसाईट पर नहीं रहेंगी तो पक्षकार का दोहन होगा इसलिए सरकार इसे मान ले।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-4 के अंत में शब्द समूह ''और वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय'' जोड़ा जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: हां मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (2) के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''ऐसी रीति और समय सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।'' को शब्द समूह ''यथानिर्धारित रीति से एक माह की समय सीमा में कार्रवाई की जायेगी।'' से प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है किसी भी विवाद के समाधान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं रहने से पक्षकार का भयादोहन होता है और बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है, समय सीमा निश्चित रहने पर अधिकारियों पर भी दवाब रहता है इसलिए इस मांग को मान लेने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए । सरकार से आग्रह है कि इसे मान लें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (2) के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''ऐसी रीति और समय सीमा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।'' को शब्द समूह ''यथानिर्धारित रीति से एक माह की समय सीमा में कार्रवाई की जायेगी।'' से प्रतिस्थापित किया जाय।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' बिहार काराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021'' स्वीकृत हो ।''

महोदय, भारत के कई राज्यों में विवादित बकाये के निपटारे हेतु समाधान योजना लायी गयी है । इसी एकमुश्त कर विवाद समाधान योजना में बकाये राशि के निर्धारित अंश को समय सीमा के अंदर जमा कर देने की स्थिति में संगत विवाद सदा के लिए समाप्त भी होता है। महोदय, बिहार में इस तरह की योजना वर्ष 2015, 2016 एवं 2019 में विभाग द्वारा लागू की जा चुकी है । (क्रमश:)

टर्न-17/मधुप/18.03.2021

...क्रमश:...

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वर्ष 2019 में लाये गये इस समाधान योजना में कुल 1127.55 करोड़ रू0 के बकाये के निपटारे हेतु 31177 आवेदन प्राप्त हुये जिनकी समाधान राशि रू0 331.66 करोड़ थी । इस योजना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक सृजित विवादों का ही निपटारा किया जा सकता था ।

महोदय, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अनेक व्यवसायियों द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सका था । इस संबंध में व्यवसाय एवं उद्योग जगत के

संगठनों द्वारा लगातार आग्रह था कि इस योजना को पुनः लागू करने का, उन्होंने अनुरोध भी किया । महोदय, फलतः बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 के माध्यम से पुनः समाधान योजना लायी गयी । इस योजना में दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक सृजित विवादों का निपटारा किये जाने के प्रावधान इसमें बनाये भी गये हैं ।

महोदय, 17वीं बिहार विधान सभा के दिनांक- 23 नवम्बर, 2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक- 27 नवम्बर, 2020 तक संचालित प्रथम सत्र के दौरान कोई विधायी कार्य नहीं होने के कारण इससे संबंधित अधिनियम विधायित नहीं किया जा सका । फलतः इस अध्यादेश के प्रावधानों को निरंतर प्रभाव देने के लिए बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया गया ।

महोदय, दिनांक- 01 जुलाई, 2017 से राज्य में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है । इस समाधान योजना में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने के पूर्व की अवधि के बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति का ही निपटारा किया जा सकता है । महोदय, यह योजना दिनांक 21.9.2021 से 6 माह हेतु लागू है । महोदय, इस योजना में विवादित बकाया कर का 35 प्रतिशत भुगतान किये जाने पर विवाद समाप्त किया जा सकेगा । शास्ति ब्याज एवं फाईन के मामले में विवादित बकाया राशि का मात्र 10 प्रतिशत भुगतान करने पर ही विवाद का समाधान किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त वैधानिक प्रपत्रों के अभाव के कारण सृजित बकाया यथा केन्द्रीय प्रपत्र-सी, केन्द्रीय प्रपत्र-एफ आदि के कारण सृजित बकाया के मामले में यदि करदाता को ऐसे प्रपत्र प्राप्त हो गये हैं तो इन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा । ऐसी स्थिति में करदाता को कोई भुगतान नहीं करना होगा एवं उसका विवाद का निपटारा हो जायेगा ।

महोदय, यदि किसी व्यवसायी द्वारा पूर्व से विवादित बकाया शास्ति ब्याज अथवा फाईन के मद में किसी राशि का भुगतान किया गया है तो उसे विवाद के समाधान हेतु उतनी राशि जमा नहीं करनी होगी । महोदय, इस समाधान योजना में आज कुल 776.10 करोड़ रूपये के बकाये के निपटारे हेतु कुल 10943 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनकी समाधान राशि 118.75 करोड़ रू0 है । सम्प्रति, बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 को विधायित करने हेतु बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 सदन में पेश किया गया है । महोदय, इसमें जो हमारे एसेसी हैं उसमें ऑनलाईन भी कर सकते हैं, इसकी सुविधा उसमें दी गई है ।

अतः महोदय, वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 को विधायित करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 पर विचार हो।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

टर्न-18/आजाद/18.03.2021

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राजेश कुमार, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : मूव करता हूँ सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 के सिद्धांत पर विमर्श हो । ''

बिहार नगरपालिका विधेयक, यह जो सिद्धांत के विमर्श के विषय पर मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि आखिर यह विधेयक अब तक 2007 के विधेयक में 2011 में संशोधन की गई, इसके बाद 2012 में की गई, अधिनियम 2000, जब झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय की बात समझ में आती है कि उस समय शेष बिहार जो रह गया, उस समय वह अनिवार्य था । लेकिन तत्काल में 14 अगस्त, 2020 को सरकार संशोधन ला चुकी है और न जाने सरकार इतनी जल्दी में क्यों है, चूँकि जिस तरह से नगरपालिका में और यह पूरे बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें अनुसूचित जाति के पिछले पंक्ति के लोग इसमें काम करते हैं और वे सफाईकर्मी पर यह सरकार उनके साथ न्याय नहीं करती है । उनको तीन-तीन साल का बकाया है तो पहले हम जो सिद्धांत के विमर्श का प्रस्ताव लाये हैं, उसपर विमर्श होना चाहिए और सरकार इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी में है कि 4 अगस्त, 2020 में संशोधन लाई, फिर सरकार इसपर संशोधन ला रही है । इसलिए मैं इसके सिद्धांत पर विमर्श के लिए खड़ा हूँ ।

आगे के लिए जहां तक इस संशोधन में हमारा जो बिहार गजट असाधारण 4 अगस्त, 2020 के राज्य में शहरीकरण के समन्वित रूप से बढ़ाने, छोटे-छोटे शहरों को नियोजित विकास एवं शहरी क्षेत्र के नागरिकों के सुविधा को विकास करने तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के वर्तमान प्रावधान के कतिपय कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है । यही इसमें उद्देश्य है तथा इस अधिनियम को कराना ही इस विधेयक का अभिष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार गजट जब यह लागू किया गया 2020 में तो 4 अगस्त, 2020 को बिहार सरकार के गजट में यह प्रावधान किया गया और उस प्रावधान के बाद भी यह सरकार जो मूल रूप से प्रस्ताव है, जिसमें सफाईकर्मियों के हित में कुछ नहीं है, इसमें नागरिकों के सुविधा के बारे में कोई संशोधन नहीं है, यदि सुविधा का संशोधन यदि नगरपालिका और नगर परिषद् में इस तरह की सुविधा देती तो हमलोग भी इसका साथ देते, सार्थक सुझाव देते लेकिन सरकार इसमें कहीं भी नागरिक सुविधा का जिक्र नहीं की है, न कि सफाईकर्मियों के वेतनमान में संशोधन लायी है, इसलिए इस प्रस्ताव को मैं लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसपर और विस्तृत विमर्श हो ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेश कुमार एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री राज कुमार सिंह एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, संयुक्त प्रवर समिति में दोनों ही सदनों के स्थायी सदस्यों की भागीदारी होगी और इसपर व्यापक विमर्श हो सकता है । यह जो बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता है, उससे सरकार को मुक्ति मिल जायेगी और एक बार में ही सम्यक रूप से विमर्श हो सकेगा । अनुरोध है कि मेरे इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करे और इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''कि विधेयक के खंड–5 के उपखंड (i) के परन्तुक की प्रथम पंक्ति के शब्द ''सरकार'' एवं शब्द ''द्वारा'' के बीच शब्द समूह ''सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार'' अंतःस्थापित किया जाय । ''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि राज्य सरकार इस विधेयक के द्वारा नियुक्त अधिकारी को अपने मन से हटाने का अधिकार लाना चाहती है । लेकिन इससे आने वाले समय में बहुत परेशानी हो जायेगी । इससे नगर निकाय की स्वायत्तता प्रभावित होगी । मेरा मानना है कि नगर निकायों की जो स्थायी सशक्त समिति है, उसका इसमें समावेश हो और उनके अनुशंसा पर ही हटाया जा सके । सरकार अपने तरफ से चाहे तो भी हटाये और सशक्त स्थायी समिति चाहे तो भी हटे, दोनों ही स्थितियों में अधिकारी को हटाया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह त्रिस्तरीय पंचायत के मूल स्वरूप का कहीं न कहीं यह ध्यान नहीं दिया गया है । इसलिए हमारा प्रस्ताव थोड़ा माना जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड (i) के परन्तुक की प्रथम पंक्ति के शब्द ''सरकार'' एवं शब्द ''द्वारा'' के बीच शब्द समूह ''सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शमा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-5 को विलोपित किया जाय । ''

महोदय, मेरा मानना है कि जो पहली व्यवस्था चली आ रही है, वह सही है । उसे सरकार अपनी मर्जी से भी हटा सकती है या दो तिहाई बहुमत से भी अधिकारी को हटा सकती है । इसलिए दोनों व्यवस्थायें रहनी चाहिए न कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो जाय । नगर निकाय ऑटोनॉमस है और यह उसकी ऑटोनोमी पर आघात होगा । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है, सरकार को यह मानना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-5 को विलोपित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-19/शंभु/18.03.21

अध्यक्ष : खंड-6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड(2) में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''बीस हजार'' को शब्द समूह ''पांच हजार'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''पांच हजार'' को शब्द समूह ''एक हजार'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, यह अतिक्रमण से संबंधित मामला है । स्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है । इसके साथ-साथ इस विधेयक में यह भी बात आनी चाहिए कि अतिक्रमण मुक्ति के लिए निरंतर सूचना की व्यवस्था की जाय । अतिक्रमण की जॉंच के लिए जो अतिक्रमण मैप के नक्शे के अनुरूप होता है वह नक्शा उपलब्ध होना चाहिए । तीसरी बात इस विधेयक में यह आनी चाहिए कि अधिकारी प्रतिनियुक्त कर उनके उपर भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड (2) में प्रस्तावित संशोधन की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''बीस हजार'' को शब्द समूह ''पांच हजार'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''पांच हजार'' को शब्द समूह ''एक हजार'' से प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड(2) के बाद एक परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''परन्तु यह कि अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर यह माना जायेगा कि अतिक्रमण होने के दौरान उस क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक द्वारा अनदेखी की गयी इसलिये जितना जुर्माना अतिक्रमणकारी से वसूलनीय होगी उतनी ही राशि उस क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक से वसूलनीय होगी । ''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव दिया क्योंकि अतिक्रमण अपने आप नहीं होता है । अतिक्रमण वैसी जगह पर होता है जहां लावारिश जगह छोड़ दी जाती है । मैं ऐसे दर्जनों जगह को जानता हूँ जहां से रोज नगरपालिका पदाधिकारी, नगर पंचायत सचिव और सुपरवाइजर वगैरह गुजरते हैं, लेकिन वहां निरंतर अतिक्रमण होता रहता है । इसलिए यदि एक अतिक्रमण करनेवाला दोषी है तो अतिक्रमण करानेवाला भी दोषी है । मेरा यही प्रस्ताव है और सरकार को इसे मानना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड(2) के बाद एक परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''परन्तु यह कि अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर यह माना जायेगा कि अतिक्रमण होने के दौरान उस क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक द्वारा अनदेखी की गयी इसलिये जितना जुर्माना अतिक्रमणकारी से वसूलनीय होगी उतनी ही राशि उस क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक से वसूलनीय होगी । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड(3) के परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''परन्तु यह और कि वैध कागजात अथवा लीज की अवधि बकाया रहने पर अतिक्रमण के नाम पर कोई संरचना तोड़ी जाने पर उस क्षति की दुगुनी राशि तोड़ने का आदेश देने वाले पदाधिकारी से वसूलनीय होगा ।''

महोदय, सरकार स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण अवरोध हटाने के लिए शक्ति दे रही है, परन्तु इस शक्ति का भयंकर दुरूपयोग भी होता है । मौर्या लोक, पटना में 2022 तक लीज रहने के बावजूद तत्कालीन नगर आयुक्त ने दूकानों पर बुल्डोजर चलवा दिया । पटना उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और 1 लाख का दंड नगर निगम पर लगाया, परन्तु अपनी कार्रवाई को जस्टीफाई करने के लिए सरकार डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट जा रही है । यह न सिर्फ सरकारी धन का दुरूपयोग है बल्कि पद से मदांध हो जाने का भी श्रेष्ठतम उदाहरण है । इसलिए स्थायी अथवा अस्थायी अतिक्रमण दूर करना जरूरी है, लेकिन वैध कागजात और लीज बकाया रहने पर यदि कोई तोड़फोड़ होती

है तो उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित करनी होगी । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है और मैं मानता हूँ कि सरकार को इसे मानने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड(3) के परन्तुक के बाद एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''परन्तु यह और कि वैध कागजात अथवा लीज की अवधि बकाया रहने पर अतिक्रमण के नाम पर कोई संरचना तोड़ी जाने पर उस क्षति की दुगुनी राशि तोड़ने का आदेश देने वाले पदाधिकारी से वसूलनीय होगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 8 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय सदस्य,श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2021 लायी है । यह ऐतिहासिक दिन है कि जो 20 साल, 25 साल से नगरपालिका में समूह-ग के कर्मचारी बैठे हैं, पदाधिकारी उनको सरकार अब हटा सकती है । यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है । महोदय, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ कि बिहार अधिनियम (11)2007 की धारा-56 में भी संशोधन है । महोदय, इसमें जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं नगर पंचायत, नगर परिषद् में तो बहुत कनीय अधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं । वे अपने द्वारा लिखित या नामित किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं उसमें, लेकिन संवैधानिक पद पर माननीय मंत्री संवैधानिक पद पर है, आप स्वयं संवैधानिक पद पर हैं, विधायक और विधान पार्षद् संवैधानिक पद पर हैं । वे अपने द्वारा नामित किसी को उस बोर्ड की बैठक में नहीं प्राधिकृत कर सकते हैं । आपको स्वयं जाना होगा या माननीय मंत्री जी को स्वयं जाना होगा, हमलोग स्वयं जाते हैं । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि जब कनीय स्तर का पदाधिकारी अपने द्वारा नामित किसी को बैठा सकता है तो इसमें यह जरूर करें कि जो विधायिका या संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वे भी अपने द्वारा किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकें, अगर उनके पास समय नहीं है । मैं यह जरूर सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से यह सकारात्मक बात है तो आप स्वयं भी अध्यक्ष महोदय आप चाहेंगे अपने क्षेत्र में तो आपको खुद जाकर बैठना होगा, माननीय मंत्री जी को खुद बैठना होगा, विधायक को खुद बैठना होगा । यही मेरा आग्रह था और कुछ विशेष नहीं, आज ऐतिहासिक दिन है इतना अच्छा विधेयक सरकार लायी है कि इस विधेयक के समर्थन में हैं और यह पास होना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है । इस हेतु संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के आलोक में अधिनियमित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा-36, 37, 38, 41, 53, 56 एवं 435 के प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी ।

क्रमशः

क्रमशः

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, नगर निकायों के अंतर्गत वर्तमान में समूह 'ग' के पदों का संवर्ग नगर निकाय के स्तर पर होने से कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई हो रही थी । नगर निकायों के समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की कार्रवाई के निमित कोई संस्था नहीं होने के कारण इन समूह के पदों पर नियुक्ति में प्रक्रियात्मक कठिनाई उत्पन्न हो रही है । साथ ही नियुक्ति में एकरुपता नहीं हो पा रही है । इन कठिनाईयों को दूर करने हेतु नगर निकायों के समूह 'ग' के पदों का संवर्ग राज्य स्तरीय किए जाने का प्रस्ताव है । इसके लिए अधिनियम की धारा -36, 37 एवं 38 में संशोधन का प्रस्ताव है । महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में नियुक्त पदाधिकारी को सशक्त स्थायी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है तथा राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में नियुक्त पदाधिकारी के एक वर्ष के उपरांत नगर निकायों के पद धारकों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उनको हटाने का भी प्रावधान है । महोदय, यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदस्थापित पदाधिकारियों को निष्पक्ष रुप से कर्त्तव्य में बाधा पैदा करता है तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं पदस्थापित पदाधिकारी हमेशा दबाव की स्थिति में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु बाध्य होते हैं । महोदय, इसके परिणामस्वरुप नगरपालिकाओं का कार्य प्रभावित होता है । इस कठिनाई को दूर करने हेतु अधिनियम के वर्तमान धारा- 41 के प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा -53 के वर्तमान प्रावधान में नगरपालिका के संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाले पार्षद को इससे संबंधित किसी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु निषिद्ध किया गया है । कोई पार्षद इस प्रकार के संविदा आदि में स्वयं आर्थिक हित में, हित नहीं रहते हुए भी उनके परिवार के किसी सदस्य का आर्थिकि होने के बावजूद बैठक में भाग लेते हें । इस प्रकार पार्षद द्वारा प्रत्यक्ष रुप से अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से अपना आर्थिक हित रख कर संबंधित समिति की बैठक में भाग लेते हैं । महोदय, इसके फलस्वरुप समिति का निर्णय पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है । इसे रोकने हेतु अधिनियम के वर्तमान धारा-53 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है । महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियिम, 2007 की धारा -56 में नगर निकाय तथा इसकी समिति की बैठक में पदाधिकारियों को भाग लेने हेतु अनिवार्य प्रावधान नहीं है । इसके फलस्वरुप नगरपालिका तथा इसकी समिति की बैठक में मुख्य पार्षद तथा समिति द्वारा बिना पदाधिकारी के उपस्थिति के भी कार्य संचालन किया जाता है । यह स्थिति नगर निकायों

के हित में प्रतीत नहीं होता है । अतएव अधिनियम की धारा-56 के वर्तमान प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है । महोदय, बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 435 में नगर निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत मार्गों पर अतिक्रमण की रोक थाम के संबंध में प्रावधान किया गया है । वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु नगर निकायों को संबंधित जिला के जिला प्रशासन पर आश्रित रहना पड़ता है । इसके लिए परिणामस्वरुप नगर निकाय क्षेत्रों के मार्गों से अतिक्रमण से मुक्त किए जाने में काफी कठिनाई हो रही है साथ ही उक्त धारा में नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण करने पर दंड की राशि अधिकतम एक हजार रुपया है । नगर निकाय क्षेत्रों में वर्तमान संदर्भ में स्थायी एवं अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण अथवा अवरोध को प्रभावी तरीके से रोक थाम किए जाने की महोदय, आवश्यकता है । इसके लिए स्थायी अतिक्रमण के मामले में दोष सिद्ध होने पर 20 हजार रुपये एवं अस्थायी अतिक्रमण के मामले में 5 हजार रुपये तक के दंड का प्रावधान करते हुए अधिनियम की धारा- 435 के वर्तमान प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के फलस्वरुप राज्य के नगर निकायों में सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई को सुगम, एकरुप एवं पारदर्शी बनाने, नगर निकायों में कार्यरत नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जनहित में कर्त्तव्यों के निर्वहन करने तथा नगर निकायों की बैठक में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य करने, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को संबंधित नगर निकायों में स्वयं के आर्थिक हित पर नियंत्रण करने तथा नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा । अतः महोदय, इसे स्वीकृत किया जाय

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरुल ईमान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अजीत शर्मा एवं श्री अजय कुमार सिंह के विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतएव सिद्धांत पर विचार होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा। क्या माननीय सदस्य अखतरुल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अखतरुल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य के ताल्लुक से जो बात कही गयी है वह यह कि विद्यमान बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 संयुक्त रुप से तत्समय बंगाल, आगरा और असम राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था । जिसमें वर्तमान बिहार प्रांत भी तत्कालीन बंगाल प्रांत में शामिल था । अब बिहार एक पृथक एवं पूर्ण राज्य है इसलिए पृथक सिविल न्यायालय अधिनियम आवश्यक है इसलिए उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है । महोदय, मैं समझता हूं कि आज का दिन तारीखी दिन है इसलिए कि आजादी के 74 साल और संविधान के स्थापना के 72 वें साल में चल रहे हैं । हम अपने पूर्वजों पर उंगली नहीं उठा सकते लेकिन आज हम बात करते हैं कि आज हम निरसन कर रहे हैं 1887 के अधिनियम को और नया कानून लागू कर रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन इतनी देर बाद आंख क्यों खुली ? बंगाल ने अपना सिविल ऐक्ट पहले बना लिया और हम आज बना रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आमद पर जो मशविरा दिया गया है शायद सरकार उसपर अमल करने के सिलसिले मे कदम बढ़ा रही है । महोदय, मैं इसके उद्देश्य पर बात करता लेकिन मैं एक बात

कहना चाहूंगा कि असल काम जो है इस सदन का वह कानून बनाना है, हम लौ मेकर हैं और जो बजट के दूसरे मुद्दो पर वाद विवाद करना पड़ता है तो लायब्रेरी भी मदद करती है, हमारे पुराने सदस्य भी मदद करते हैं । हमें इस वक्त अफसोस है कि हमारे दरम्यान में हमारे बुजुर्ग नहीं रहे, भोला बाबू थे तो हमलोग जा कर परामर्श करते थे । आज के दिन में हम किससे परामर्श करे ? एक बुजुर्ग है हमारे बिजेन्द्र बाबू माननीय मंत्री जाते हैं तो उनके करबद्ध और डंडें की वजह से हमलोग बात नहीं कर पाते जरुरत इस बात की थी आज आपने देखा महोदय, एक दृश्य देखकर शायद मेरे बच्चे ऊंगली उठाये हम पर कि किसमें 'हां' कहना है और किसमें 'नां' कहना है सोच समझ कर आपके रुप को देखकर लोग हां–ना कह रहे थे, इसके माने यह है कि कानून बनाने में हम बहुत गंभीर नहीं है और सच्चाई भी है महोदय, कि ज्ञान का हमारा अभाव, हमें इस पर मजबूर किया कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और उसके लिए शायद जरुरी भी हो सदन नेता भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और आप भी है, मैं इस बात की जरुरत महसूस किया हूँ, जब हमने इस पर भाग ले लिया तो समझा कि यूँ ही अंधेरे में तीर चलाना अच्छी बात नहीं है, तथ्यविहीन गुफ्तगू करने से आदमी का वजन घटता है इसलिए मैं इसपर तथ्य आधारित गुफ्तगू कर सकूं तो शायद मशविरा दे सकूं । मैंने कई बुजुर्गों से बात की परामर्श नहीं दे सके शायद सर जरुरत है आज के दिन में सदन को कि हमारा कोई लीगल सेल हो ताकि कानून बनाने के संबंध में जन समस्याओं को तो हम देखते हैं लेकिन कानून आया, यह आगे चल कर क्या होंगे इसके असरात, इसके लिए अगर एक लीगल सेल भी बन जाय तो शायद इस किस्म के मामले में यहाँ के जो हमारे संगी साथी है, अच्छा मशविरा दे सकते हैं ताकि अच्छा कानून बने और असल काम हमारा यही है । यह मेरा निवेदन है ।

टर्न–21/अभिनीत–पुलकित/18.03.2021

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा आया है । क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

खंड 2, 3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड- 2, 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 2, 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड- 7 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड- 7 के चौथी पंक्ति के शब्द ''में'' और शब्द ''वरिष्ठतम'' के बीच शब्द समूह ''उच्च न्यायालय की अनुमति से'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि जो कानून बन रहा है उसको पढ़ने से लगता है कि मृत्यु, पद-त्याग या उनके हटाये जाने अथवा बीमारी से असमर्थ हो जाने स्थानांतरण या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन या उनकी अनुपस्थिति में

वरिष्ठतम अपर जिला न्यायाधीश स्वतः ही प्रभार ले लेंगे, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है । माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्च नयायालय के अधीन है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड- 7 के चौथी पंक्ति के शब्द ''में'' और शब्द ''वरिष्ठतम'' के बीच शब्द समूह ''उच्च न्यायालय की अनुमति से'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खंड- 7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''खंड- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 इस विधेयक के अंग बने।

खंड- 17 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्माः महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड- 17 के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''को'' और शब्द ''वापस'' के बीच शब्द समूह ''उच्च न्यायालय की अनुमति से'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, इसमें भी मेरा प्रस्ताव वही है कि चूंकि जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन है इसलिए उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड- 17 के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''को'' और शब्द ''वापस'' के बीच शब्द समूह ''उच्च न्यायालय की अनुमति से'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड- 17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड- 18, 19 एवं 20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड- 18, 19 एवं 20 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड- 1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

महोदय, 1887 का अधिनियम, माननीय उच्च न्यायालय के विचार-विमर्श करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रारूप तैयार कर अधिनियमित करने हेतु आया है और इसे विद्यमान बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय, 1887 संयुक्त रूप से तत्समय बंगाल, आगरा और असम राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था जिसमें वर्तमान बिहार प्रांत भी तत्कालीन बंगाल प्रांत में शामिल था और अब बिहार एक पृथक एवं पूर्ण राज्य है,

इसलिए पृथक सिविल न्यायालय अधिनियम की आवश्यकता है इसलिए अब उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021'' के प्रावधानों को लागू कर किया जाना आवश्यक है ।

अतः इस प्रस्ताव ''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021'' को स्वीकृति दी जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन को माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। 72 साल के बाद बिहार की अस्मिता, बिहार की प्रतिष्ठा अपना विधेयक यह हुआ, अभी तक चल रहा था अंग्रेजों का बनाया हुआ । महोदय, यह ऐतिहासिक क्षण है इसलिए इस पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और चीफ जस्टिस के परामर्श वगैरह के बाद जो संवैधानिक दायित्व है उसका अनुश्रवण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विधेयक लाया । आज का दिन बिहार के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जायेगा । मैं पुनः सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चाहते हैं सर्वसम्मिति से यह विधेयक पास हो ?

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि :

''बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 18 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 61 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2021 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।